अध्याय 1
संविधान क्यों और कैसे?

संविधान क्या हैं?

1. किसी देश का संविधान उसकी राजनीति प्रक्रिया (व्यवस्था) का वह मूलभूत ताना–बाना (ढाँचा) निर्धारित करता है, जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है।
2. संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) की स्थापना करता है।
3. संविधान सरकार के तीनों अंगो की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्त्तव्यों की सीमा तय करता है।
4. संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी सम्बन्धों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है।
5. संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है, तथा कुशासन/अराजकता को रोकता है।

संविधान की आवश्यकताः–

1. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के वर्गों/समुदायों के योग से बनता है। इन वर्गों/समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी/आवश्यक है।
2. संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है।
3. समाज बहुत बड़ा होता है। इसमें अन्तिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? संविधान यह तय करता है।
4. संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है।
5. एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी/आवश्यक है।

भारतीय संविधान सभा का निर्माणः–

1. जुलाई 1945 में इंग्लैण्ड में नई लेबर (पार्टी) सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वाइस राय लार्ड वेवल ने इसकी पुष्टि कीं
2. कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार–संविधान निर्माण–निकाय की सदस्य संख्या–389 निर्धारित की गई। जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गर्वनरों के अधीन ग्यारह प्रांतो से, 04 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के चार प्रांतों (दिल्ली, अजमेर–मारवाड, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान) से और 93 प्रतिनिधि–भारतीय रियासतों से लिए जाने थे।
3. ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा मे स्थान दिए गए। (10 लाख लोगों पर एक स्थान)
4. प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों– मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया।
5. 3 जून, 1947, मांउटबेटन योजना के अनुसार भारत–पाकिस्तान विभाजन तय हुआ, परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य–संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई।

संविधान सभा का आकार/स्वरूपः–

1. संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन–दिन–सोमवार, 09 दिसम्बर 1946 को प्रातः ग्यारह बजे हुआ।
2. 9 दिसम्बर 1946 को डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा 11 दिसम्बर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर को चुना गया।
3. 13 दिसम्बर 1946 को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुत्ता–सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया।
4. 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। इस समय अनुसूचियों 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं।
5. संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुई।

6. 26 नवमबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया।

भारतीय संविधान के स्रोतः–

1. संविधान का लगभग 75 प्रतिशत अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था।
2. 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया।
3. अन्य देशों की संवैधानिक प्रणालीः–

(क) ब्रिटिश संविधानः

(i) सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला।
(ii) सरकार का संसदीय स्वरूप।
(iii) कानून के शासन का विचार।
(iv) विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी – कानून निर्माण की विधि।

(ख) अमेरिका का संविधानः

(i) मौलिक अधिकारों की सूची।
(ii) न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

(ग) आयरलैंड का संविधानः

(i) राज्य के नीति निर्देशक तत्व।

(घ) फ्रांस का संविधानः

(i) स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धान्त।

(ड.) कनाडा का संविधानः

(i) एक अर्द्ध–संघात्मक सरकार का स्वरूप (सशक्त केन्द्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था।)
(ii) अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त।

प्रश्नावलीः

एक अंकीय प्रश्नः–

1. संविधान क्या है?
2. डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा मे किस समिति के अध्यक्ष थे?
3. भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
4. समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय ओर विकास बनाना किसका पहला कार्य है?
5. नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण कौन–सा देश है?
6. संविधान सरकार को कौन–सा सामर्थ्य प्रदान करता है?
7. संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है?
8. 'कठोर संविधान' से आप क्या समझते है?
9. 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा सदस्य कितने थे?
10. पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार किसे दिया गया था?
11. अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
12. भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है?
13. संविधान सभा के प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया गया?
14. क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया?
15. क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. 'संविधान' क्यों महत्वपूर्ण है?
2. यदि संविधान में मूलभूत कानूनों/नियमों का अभाव होता तो क्या होता?
3. भारत मे संविधान सफल है, परन्तु पड़ोसी देश नेपाल में नहीं क्यो?
4. संविधान के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए।

5. ''संविधान समाज की सामूहिक भलाई करने वाला स्रोत है।'' उपर्युक्त कथन को दक्षिण–अफ्रीका एवं इंडोनेशिया के संदर्भ मे समझाइए।

6. भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा तथा कुल कितनी बैठकें हुई?

7. संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन को संक्षेप में समझाइए।

8. नेहरू जी, द्वारा 1946 में प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' के दो उद्देश्यो को लिखिए।

चार अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संविधान सभा के गठन प्रक्रिया/रचना को समझाइए।

2. भारतीय संविधान सभा के गठन में समाहित कोई चार कमियों/दोषों का वर्णन करें।

3. ''संविधान को जनता नहीं प्रायः एक छोटा सा समूह ही नष्ट कर देता है।'' इस कथन के संदर्भ में भारतीय संविधान को मजबूती देने के लिए क्या–क्या प्रयास किए गए हैं। उल्लेख करें।

4. ''नेपाल में संविधान निर्माण विवाद'' विषय पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए?

5. एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान कौन–कौन से होते हैं?

6. भारतीय संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्थाओं स्वीकार किया।' कैसे? समझाइए।

पाँच अंकीय प्रश्नः –

1. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़े तथा नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें–

''दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने को प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है और वह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे–धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध कराये।

(क) दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब बना? (1)

(ख) क्या संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम है? (2)

(ग) दक्षिण अफ्रीका के संविधान मे कौन–कौन सी वैश्विक समस्याओं को सम्मिलित किया गया है? (2)

2. प्रदर्शित कार्टून को ध्यानपूर्वक देखिए एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:–

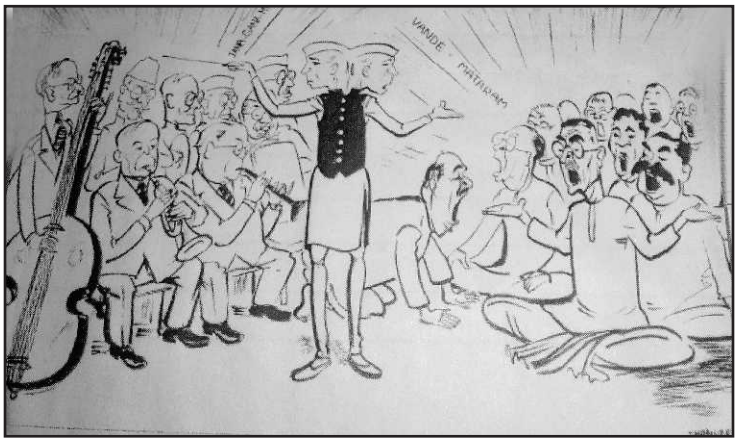

(क) दो मुँह वाला व्यक्ति कौन है? (1)

(ख) बायी ओर बैठे व्यक्ति किस विचारधारा के है? तथा दायीं ओर बैठे व्यक्ति किस विचारधारा के है? (2)

(ग) दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया? (2)

छः अंकीय प्रश्नः–

1. हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? सविस्तार समझाइए।
2. भारतीय संविधान सभा की रचना, ब्रिटिश मंत्रीमंडल की किस समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी? इस योजना के प्रस्तावों को सविस्तार समझाइए।
3. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए।
4. उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलापन का समन्वय है?
5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना मे वर्णित निम्नलिखित शब्दों को सविस्तार समझाइए– (क) न्याय, (ख) स्वतंत्रता, (ग) समानता, (घ) बंधुत्व, (ड.) धर्मनिरपेक्षता, (च) समाजवादी।
6. सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक 'पुष्प–गुच्छ' (BOUQUET) की भांती है। जिसमें सभी देशों के फूल समाहित हैं?

अथवा

''भारतीय संविधान उधार लिए गये सिद्धान्तों को टोकरा है।'' समझाइए।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. संविधान नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का समूह है, जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार शासन करती है।
2. डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
3. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद।
4. संविधान का।
5. दक्षिण–अफ्रिका।
6. सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठाने (कार्य करने) का सामर्थ्य प्रदान करते है।
7. संविधान का प्रारम्भिक परिचय ही संविधान की प्रस्तावना है।
8. ऐसा संविधान जिसमें सरलतापूर्वक संशोधन/परिवर्तन नहीं किए जा सकें।
9. 299 सदस्य।
10. कम्यूनिस्ट पार्टी को।
11. 284 सदस्यों में।
12. बारह (12) अनुसूचियाँ हैं।
13. समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा।
14. मार्च 1942 में।
15. क्रिप्स मिशन ने सुझाया कि–भारतीय संघ की स्थापना संविधान के द्वारा होगी, जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जायेगा।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. वह समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. इसके अभाव में समाज का प्रत्येक सदस्य अपने आपको असुरक्षित महसूस करता। क्योंकि उसे इस ज्ञान का अभाव होता कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है।
3. भारत में संविधान का निर्माण एक सफल राष्ट्रीय आन्दोलन के बाद बनाया गया जबकि नेपाल में ऐसा नहीं हुआ।

4. (1) मूलभूत नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराना, जिससे समाज में एक दूसरें में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बने।
(2) यह तय करना कि समाज में अन्तिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी।

5. (1) दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है, जैसे–पर्यावरण संरक्षण करना तथा अन्यायपूर्ण भेदभाव को समाप्त करना
(2) इंडोनेशिया में सरकारी जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए तथा गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करें।

6. 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन तथा 166 बैठकें।

7. 29 अगस्त 1947 को डॉ. भीमराव अम्बेड़कर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष को पेश किया।

8. (1) भारत एक स्वतंत्र सम्प्रभु गणराज्य होगा।
(2) भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जायेगी।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946, अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। 11 दिस्मबर 1946 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति।
सदस्य संख्या 389, (292+4+93)। 14 अगस्त 1947, विभाजित भारत संविधान सभा बैठक, कुल बैंठकें–166।

2. कमियाँ/दोष– प्रभुत्ता की कमी। प्रातों का वर्गीकरण अनुचित। मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश। देश रियासतों को संविधान को माने के लिए बाध्य नहीं किया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया।

3. (i) शक्तियों का विकेन्द्रीकरण– संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा।

(ii) स्वतंत्र/संवैधानिक निकायों को शक्तिशाली बनाना, जैस–स्वतंत्र चुनाव आयोग।

(iii) बाध्यकारी मूल्य नियम प्रक्रिया के साथ कार्यपालिका में लचीलापन तथा साथ ही संविधान की कठोरता।

4. 1948 के बाद से नेपाल में पांच संविधान बन चुके हैं–1948, 1951, 1959, 1962, 1990 एवं 2006 के बाद बने संविधान पर विरोध जारी हे। वर्तमान में मधेसी आन्दोलन इस के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है। अधिकांश जनता संविधान में संशोधन चाहती है।

5. (i) प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण अवश्य होना चाहिए।

(ii) बहुसंख्यको से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

(iii) समान सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(iv) छोटे सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत करना।

(v) समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना।

6. (i) संविधान सभा द्वारा सरकार के तीनों अंगों के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया।

(ii) विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (क) दिसम्बर 1996 में।

(ख) नहीं, वह सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक–भलाई के लिए काम कर सकें।

(ग) पर्यावरण संरक्षण, वर्ग भेदभाव, आवास समस्या, स्वास्थ्य समस्या वैश्विक गरीबी।

2. कार्टून – (क) पं. जवाहर लाल नेहरू

(ख) पश्चिमी विचारधारा के लोग

(ग) पूर्वी अर्थात् भारतीय संस्कृति के समर्थक

(घ) दोनों को संतुष्ट करने के लिए जनगणमन को राष्ट्रीयगाान और वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत बनाया।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. संविधान की आवश्यकता– देश का सर्वोच्च कानून बनाने, सरकार का निर्माण करने, शासन–व्यवस्था के तरीके बताने, सरकारों के प्रकारों (संसदात्मक / अध्यक्षात्मक / एकात्मक / संघात्मक) की जानकारी देने, सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए है तथा अन्य।

2. (i) ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति–'कैबिनेट मिशन'।
   (ii) सदस्यों का चयन – ब्रिटिश प्रान्तों से (292) + देशी रियासतों से (93) + चीफ कमिशनरों से (4) = 389 सदस्य।
   (iii) प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों–मुसलमान, सिख और सामान्य में बंटवारा।
   (iv) प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना।
   (v) देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श इसे तय किया गया आदि।

3. संविधान की विशेषताएँ–
   (i) जन प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित, लिखित एक सम्पूर्ण संविधान।
   (ii) यह सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है।
   (iii) नागरिकों को मूल अधिकार के साथ मूल कर्त्तव्यों की याद दिलाता है।
   (iv) स्वतंत्र न्यायपालिका है।
   (v) संसदीय शासन व्यवस्था।
   (vi) राज्य के नीति निर्देशक तत्व आदि।

4. भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलापन का समन्वय–सैद्धांतिक तौर पर भारत का संविधान कठोर है– अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन आवश्यक है। (विशेष बहुमत) – लचीलापन बहुत से संशोधन प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से पास कर के संशोधित कर दिया जाता हे।

5. न्याय–सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना।
स्वतंत्रता–अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, कर्म और उपासना भक्ति की स्वतंत्रता।
समानता – सभी प्रकार के भेदभावों का अन्त या भेदभावों से मुक्ति।
बंधुत्व– देश के हर नागरिक के बीच आपसी प्यार/स्नेह के भाव पैदा करना।
धर्म निरपेक्षता–सभी धार्मिक विचारों वाले नागरिकों को धर्म को मानने की आजादी।
समाजवादी– सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण, समाज कल्याण के कार्य हो, लोकहित कारी कार्य हो। समाज सर्वोपरी।

6. भारतीय संविधान एक 'पुष्प गुच्छ' इस रूप में है कि इस गुच्छ में विभिन्न देशों के संवैधानिक सिद्धान्त रूपी फूल शामिल किए गये है। और सिद्धान्तों को टोकरे के रूप में देखे तो टोकरे में विभिन्न वस्तुएं होती है उसी भाँति इस भारतीय संविधान रूपी टोकरे में – इंग्लैण्ड अमेरिका, आयरलैण्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसे देशों के संविधानिक सिद्धान्तों रूपी वस्तुएं इस टोकरे की शोभा बढ़ा रहे है।

संविधान का राजनीतिक दर्शन

संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि।

संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं।

हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनी हैं, इन नैतिक की बुनियादी अवधारणाओं पर चल कर उद्देश्य प्राप्त करें।

संविधान का मुख्य सार– संविधान की प्रस्तावना
प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है

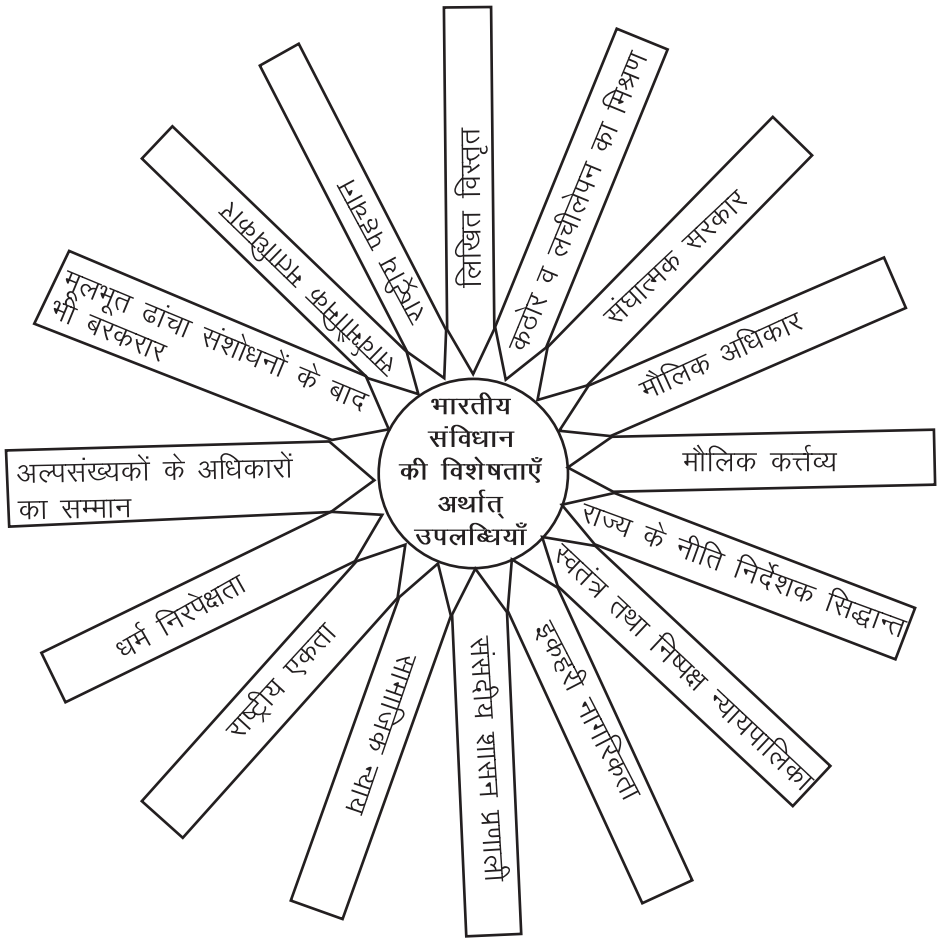

जवाहर लाल नेहरू के अनुसार–''भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊँच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ। यह कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है।''

संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णनः–

1. **स्वतंत्रता**–संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता से संबधित प्रावधान इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को विचार –विमर्श अभिव्यक्ति, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है।

2. **सामाजिक न्याय**– भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। उदाहरण– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान।

3. **अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान**– अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक और परोपकारी कार्यक्रमों के लिए संस्थाएं स्थापित करना और अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का भी अधिकार है।

4. **धर्म–निरपेक्षता**– धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है 'सर्वधर्म समभाव' धर्म से दूरी बनाए रखना है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेद नही करता। राज्य धर्म में और धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता परंतु धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति के आत्म सम्मान को ठेस पहुँचाता है तो राज्य हस्तक्षेप करता है। राज्य किसी धार्मिक शिक्षा संस्था को आर्थिक सहायता भी दे सकता है।

5. **सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार** – देश के सभी वयस्क नागरिकों (18 वर्ष) को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकर बिना जाति लिंग भेदभाव के सभी नागरिकों को प्राप्त है।

6. **संघवाद**– भारतीय संविधान में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण है। इसमें दो सरकारों की बात की गई है
   a) एक केन्द्रीय सरकार– संपूर्ण राष्ट्र के लिए
   b) दूसरी राज्य सरकार– प्रत्येक राज्य के लिए अपनी सरकार

   दो सरकारो के बाद भी अधिक शक्तियाँ केन्द्र सरकार के पास हैं। राज्यों की जिम्मेदारियाँ अधिक है।

प्रक्रियागत उपलिब्ध–

1. संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श से है। संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है।

2. संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं, सबकी अनुमति से लेना चाहते थी। वे समझौंतों को महत्व देते थे। (शिक्षक कक्षा में बहुमत व सर्वे अनुमति को स्पष्ट करेंगे।)

   संविधान सभा जिन बातों पर अडिग रही वही हमारे संविधान को विशेष बनाती है।

संविधान की आलोचना के बिंदु–

1. बहुत लंबा तथा विस्तृत–395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ।

2. पश्चिमी देशों के संविधानों से इसके प्रावधान लिए गए हैं।

2. संविधान के निर्माण में सभी समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे।

संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएँ–

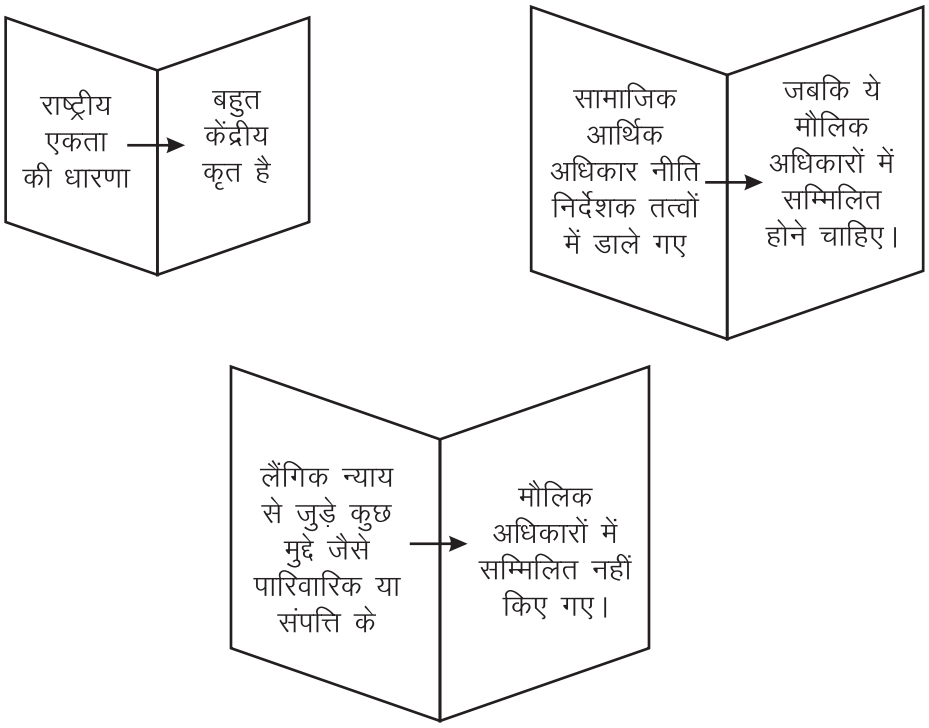

प्रश्नावलीः

एक अंकीय प्रश्नः–

1. हमारा संविधान किसके प्रति प्रतिबद्ध है?
2. भारत मे किस राज्य का अपना संविधान है?
3. संविधान के दर्शन की झलक संविधान के किस भाग में मिलती है?
4. भारत मे राज्य को धर्म के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है?
5. किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है?
6. पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है?
7. अनुच्छेद 371A क्या है?
8. मौलिक अधिकार से आप क्या समझतें है?
9. किसने 19वीं सदी के शुरूआती समय में ही प्रेस की आज़ादी की कांट छांट का विरोध किया था?
10. मोती लाल नेहरू रिपोर्ट में मताधिकार के बारे में क्या सुझाव दिया था?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संविधान की आलोचनाओं का उल्लेख करो।
2. अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में कौन से उपाय किए गए हैं?
3. भारतीय संविधान की क्या सीमाएं है?
4. संविधान राज्य पर कैसे अंकुश लगाता है?
5. भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्य लिखो।
6. संविधान के राजनीति दर्शन से आप क्या समझते है?
7. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है और उसे एक उपलब्धि क्यों माना जाता है?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किन्हीं चार आदर्शों को समझाइए।
2. धर्मनिरपेक्षता के संबंध में भारतीय ओर पश्चिमी दृष्टिकोण के अंतर को स्पष्ट करों।
3. मौलिक अधिकारें का अर्थ तथा महत्व बताइए।
4. भारत में संविधान की सर्वोच्चता है? स्पष्ट करें।

पांच अंकीय प्रश्नः–

निम्न अंकित कार्टून का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें :–

1. यह कार्टून किस धारणा पर आधारित है?
2. 'अंपायर' लोकतंत्र है इस का क्या तात्पर्य है?
3. भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन किस पर आधारित है?

पांच अंकीय प्रश्न :–

निम्न अवतरण को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दो।

संविधान के बारे में गौर करने वाली बात है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। 19 वीं सदी में ही राममोहन राय ने प्रेस की आजादी की काट छांट का विरोध किया था। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राममोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करें इसलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आजादी प्रदान करें।

1. संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। (1)

2. जब अंग्रेजो ने प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगाया तो किसने उसका विरोध किया और कैसे? (2)

3. प्रेस की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। (2)

छः अंकीय प्रश्न–

1. भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें।

2. संविधान को लोकतांत्रिक बदलाव का साधन क्यो माना जाता है?

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः–

1. स्वतंत्रता लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय, एकता।
2. जम्मू कश्मीर।
3. प्रस्तावना।
4. धर्म से संबंधित रिवाज़ जैसे छुआछूत नीतियों को समाप्त किया जा सकें।
5. जापान।
6. राज्य व धर्म एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे।
7. अनुच्छेद 371A में नागालैंड (पूर्वोतर का प्रदेश) को विदेश दर्जा दिया गया है।
8. वह अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। और जिन्हें संविधान में सूचीबद्ध करके सुरक्षा प्रदान की जाती है।
9. राजा राममोहन राय।
10. 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति स्त्री या पुरूष को मताधिकार।

दो अंकीय उत्तरः–

1. a) संविधान ढीला और अस्त व्यस्त
   b) भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं
   c) उधार मांगा हुआ संविधान।
   d) सबकी नुमाइंदगी नहीं। (कोई दो)
2. a) उचित प्रतिनिधित्व, संसद में सीटों का आरक्षण
   b) सरकारी नौकरी तथा शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण
3. a) राष्ट्रीय एकता की धारणा केन्द्रीकृत
   b) सामाजिक आर्थिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में डाला गया है।
   c) लिंगगत न्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे परिवार से जुड़े मामलों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।
4. संविधान सिद्धान्तों का समूह है जिसके माध्यम से राज्य की सीमाएं निर्धारित होती जिससे किसी समूह के हितों का नुकसान न हो और लोगों के अधिकारों का दुरूपयोग न हो।

5. कुछ मौलिक कर्त्तव्य

a) संविधान का पालन
b) राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान
c) देश की एकता व अखण्डता की रक्षा
d) देश की रक्षा
e) पर्यावरण को स्वच्छ रखना
f) सार्वजनिक सम्पति की रक्षा

6. स्वतंत्रता समानता, लोकतंत्र, न्याय तथा राष्ट्रीय एकता का अध्ययन ही वास्तव में संविधान के राजनैतिक दर्शन को अभिव्यक्त करता है।

7. भारत के सभी लोगों को जो 18 वर्ष के हो चुके है उन्हें मत देने का अधिकार है।

सार्वभौम मताधिकार उस समय प्रदान किया गया जब पश्चिम में कामगार वर्ग और महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर :–

1.
a) प्रभुत्व संपन्न
b) समाजवादी
c) धर्मनिरपेक्ष
d) लोकतंत्र
e) गणराज्य
f) न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक)
g) स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, धर्म)
h) समानता

2. **भारतीय धर्मनिरपेक्षता**– यह पूरी तरह से राज्य और धर्म का पारस्परिक निषेध नहीं मानती। धर्म का राज्य का प्रभुत्व नहीं है परंतु धर्म राज्य काज में और राज्य धर्म काज में हस्तक्षेप करेगा पर अगर कोई धर्म व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाता है तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।

पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता– धर्म व्यक्ति का निजी मामला। धर्म व राज्य दोनों एक दूसरें के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे।

3. ऐसे अधिकार जो जीवन के लिए मूल या आवश्यक हो ओर जिन्हें संविधान के द्वारा दिया गया हो।

महत्व– 1) लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार
2) सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध
3) सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा
4) संविधान के आधार स्तंभ
5) अल्पसंख्यको में सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ता है।

4. संविधान की सर्वोच्चता

a) लिखित संविधान– सरकार का कार्य व अधिकार निर्धारित

b) सरकार के विभिन्न अंग व संघ की सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण

c) कोई संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

d) कोई शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है।

छः अंकीय उत्तरः–

1. a) व्यक्ति की स्वतंत्रता

b) सार्वभौमिक मताधिकार

c) संघवाद (असमतोल)

d) विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान

e) राष्ट्रीय एकता

f) समानता

g) सामाजिक न्याय

2. a) संविधान सत्ता को निरंकुश होने से बचाता है।

b) संविधान सबके हितों का रक्षक (सभी वर्गों तथा जातियों का)

c) सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है।

d) कमजोर वर्गों को सत्ता में आने का अवसर मिलता है क्योंकि सभी को सार्वभौमिक मताधिकार है।

अध्याय 2
भारतीय संविधान में अधिकार

विशेष बिन्दु–

अधिकार– अधिकार वे 'हक' है। जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है।

अधिकारों का घोषणा पत्र–

अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता हैं ऐसी सूची को 'अधिकारों का घोषणा पत्र' कहते है। जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार–

भारत के स्वतंत्रता–आन्दोलन के दौरान क्रांतिकारियों/स्वतंत्रता नायको द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय–समय पर उठाई जाती रही। 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44 वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया।

सामान्य अधिकार–

वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में ससंद कानून बना कर के परिवर्तन कर सकती है।

मौलिक अधिकार–

वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गये है। इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वंय संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरूद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता।

भारतीय संविधान के भाग तीन में वर्णित छः मौलिक अधिकार निम्न प्रकार है–

i) समानता का अधिकार (14–18 अनुच्छेद)

ii) स्वतंत्रता का अधिकार (19–22 अनुच्छेद)

iii) शोषण के विरूद्ध अधिकार (23–24 अनुच्छेद)

iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25–28 अनुच्छेद)

v) संस्कृति एवं शिक्षा संबधि (29–30 अनुच्छेद)

vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकर (अनुच्छेद 32)

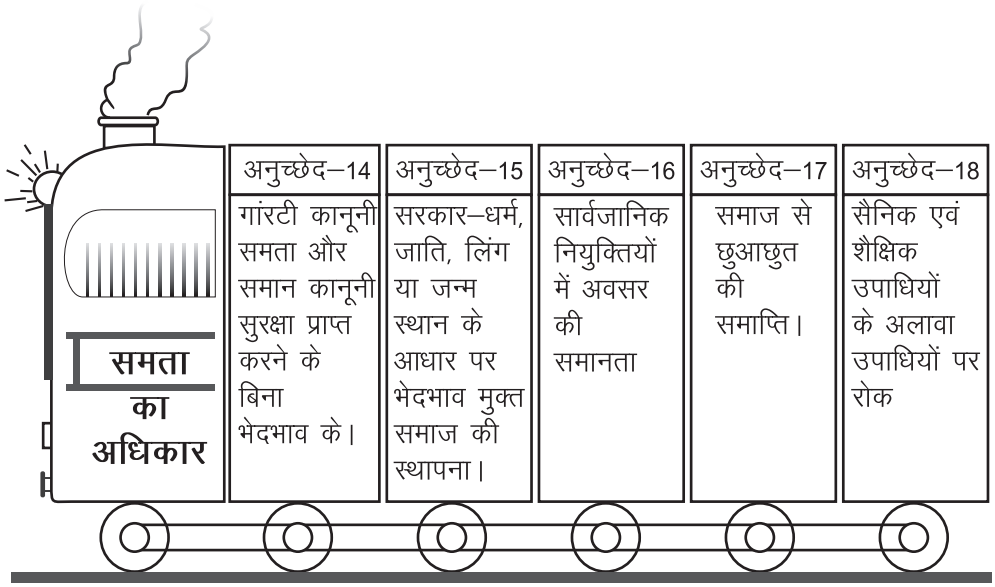

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)–

स्वतंत्रता–'भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सभा करन भारत भर में भ्रमण करने, भारत के किसी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की।

अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को सरंक्षण प्रदान करना।

कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 2 1(क)– RTE, 2002, 86 वां संविधान संशोधन शिक्षा मौलिक अधिकर, वर्ष 6 से 14 आयु मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा।

किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना।

नोट– 93वें संशोधन (2002) द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 211 (ए) में जोड़ा गया ।

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)–

i) अनुच्छेद 23, मानव व्यापार (तस्करी) और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध– जब भारत आजाद हुआ, तब भारत के कई भागों में दासता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से काम करावाता था, परन्तु मजदूरी नहीं देता था। विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था।

ii) अनुच्छेद 24 – खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही –

अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जायेगा, जैसे–खदानों में, कारखानों में या 24 घण्टे चलने वाली ढाबा या रेस्ट्रॉ में।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार–

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29–30)–

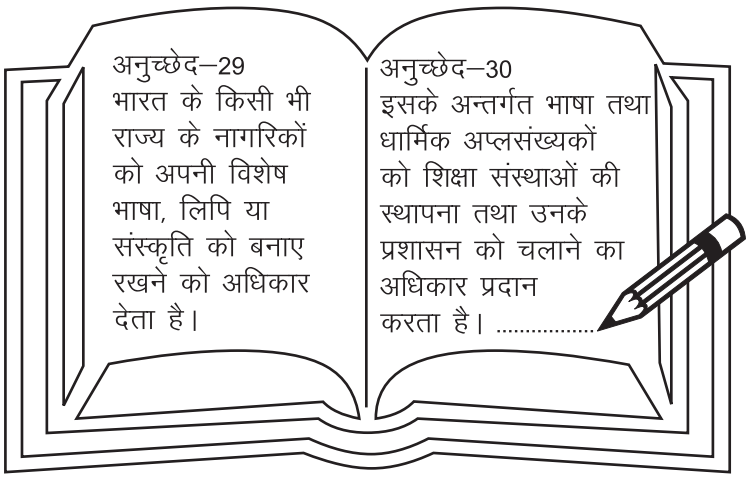

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)–

संविधान के जनक, डॉ. अम्बेडकर ने इस अधिकार को ''संविधान का हृदय और आत्मा'' की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायलय कई विशेष आदेश जारी करते है जिन्हें रिट कहते हैं। जो निम्न प्रकार हैं–

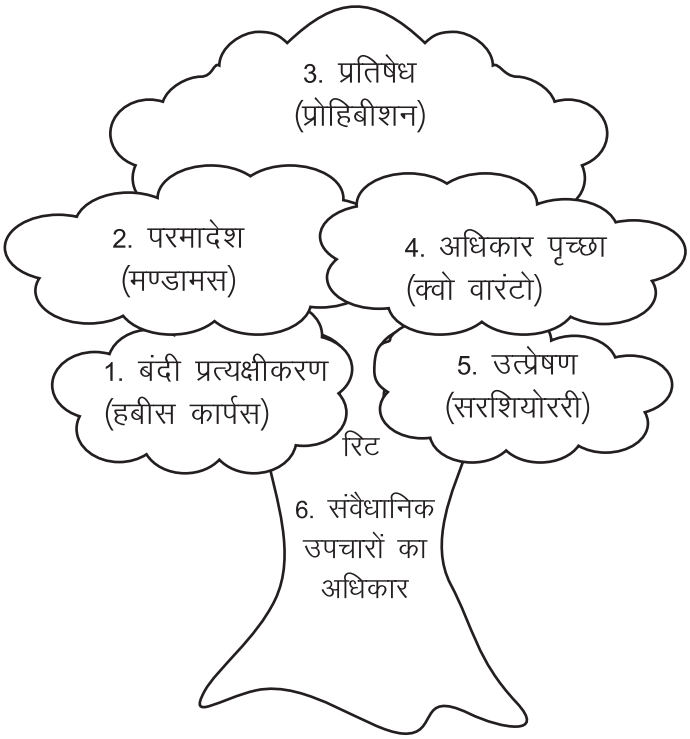

दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसम्बर 1996 में लागू हुआ, जब रंगभेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृहयुद्ध के खतरे से जूझ रहा था, दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों को घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है।

दक्षिण–अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार–

i) गरिमा का अधिकार।

ii) निजता का अधिकार।

iii) श्रम–संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार।

iv) स्वास्थ्य पर्यावरण और पर्यावरण सरंक्षण का अधिकार।

v) समुचित आवास का अधिकार।

vi) स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार।

vii) बाल अधिकार।

viii) बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार।

ix) सूचना प्राप्त करने का अधिकार ।

x) सांस्कृतिक, धार्मिक ओर भाषाई समुदायों का अधिकार।

राज्य के नीति–निर्देशक तत्व क्या है?–

(क) स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए है, जिनको न्यायलय में चुनौती नहीं दी जा सकती है परन्तु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है, करें।

(ख) प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में तीन प्रमुख बातें हैं–

i) वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप मे हमें स्वीकार करने चाहिए।

ii) वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए।

iii) वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्य–

1976 में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों की सूची (अनुच्छेद–51(क)) का समावेश किया गया है। इसके अन्तर्गत नागरिकों के दस मौलिक कर्त्तव्य निम्न हैं:–

i) संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।

ii) राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना।,

iii) भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।

iv) राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना।

v) नागरिकों मे भाईचारे का निर्माण करना।

vi) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली पंरपरा के महत्व को समझे और उसको बनाए रखें।

vii) प्राकृतिक पर्यावरण का सरंक्षण करें।

viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद ओर ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

ix) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें।

x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें।

नीति–निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध–

i) दोनों एक दूसरें के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरण देते हैं।

ii) मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को सरंक्षित करते हैं, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते है।

नीति–निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में अन्तर–

मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है परन्तु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात् मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायलय में जा सकते हैं परन्तु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायलय नहीं जा सकते।

प्रश्नावलीः

एक अंकीय प्रश्नः–

1. अधिकारों का घोषणा–पत्र किसे कहते है?
2. किसी एक व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा है। इस स्थिति में खतरे से सुरक्षा कौन प्रदान करेगा?
3. मोतीलाल नेहरू समिति क्या थी?
4. सामान्य अधिकार किसे कहते है?
5. मौलिक (मूल) अधिकारो से क्या अभिप्राय है?
6. दक्षिण–अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ?
7. दुनियां में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार किन नागरिकों को मिले हैं?
8. क्या मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार है?
9. भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं?
10. कौन–सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नही देखा जा सकता।
11. निवारक नजरबंदी किसे कहते है?
12. परमादेश का क्या अर्थ है?
13. अधिकार पृच्छा से आप क्या समझते हैं?
14. उत्प्रेषण रिट क्या होती है?
15. संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संविधान में वर्णित/सूचीबद्ध छः अधिकारों को मूल (मौलिक) की संज्ञा क्यो दी गई है?
2. मौलिक अधिकारों को किस परिस्थिति में निलम्बित किया जा सकता है?
3. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है?
4. बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते है?
5. बन्दी प्रत्यक्षीकरण क्या है?
6. शोषण के विरूद्ध अधिकार के अन्तर्गत कौन–से दो प्रावधान है?
7. मौलिक अधिकारों के दो महत्व लिखिए।
8. कानूनी अधिकार कौन–से होते हैं?
9. क्या नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत है?

10. मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अन्तर लिखिए।

11. मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद केन्द्र में कौन–सा अधिकार था?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. हमें मौलिक अधिकारो की आवश्यकता क्यों है?

2. भारतीय संविधान में कब किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों को जोड़ा गया? किन्हीं तीन कर्त्तव्यों का वर्णन कीजिए।

3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर टिपण्णी लिखिए।

4. हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की चार विशेषताएं लिखिए।

5. अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं मे से किन्हीं चार को समझाइए।

6. नीति निर्देशक तत्व क्या है? इनकी तीन प्रमुख बातें लिखिए।

पांच अंकीय प्रश्नः–

1. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

   ''संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया है लेकिन उन्हें न्यायलय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायलय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायलय सरकार को आदेश दें। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैविक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले।''

   (क) संविधान में वर्णित नीति निर्देशकों को किसका पूरक माना गया है? (1)

   (ख) क्या नीति–निर्देशक तत्वों के उल्लघंन पर आप न्यायलय जा सकते है? (1)

   (ग) राज्यों को नीति–निर्देशक तत्वों को लागू करवाने में कौन–सी शक्ति काम करती है? (1)

   (घ) नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में अन्तर करो। (2)

छः अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संविधान में निहित/सूचीबद्ध मूल/मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।
2. समानता के अधिकार को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझाइए–
   (क) कानून के समक्ष समानता।
   (ख) भेदभाव को निषेध (मनाही)
   (ग) रोजगार (नौकरियों) में अवसर की समानता।
3. धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक या आधार माना जाता हे। उपर्युक्त कथन को तर्क सहित सिद्ध कीजिए।
4. डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को 'संविधान का हृदय और आत्मा' की संज्ञा दी है। इसके अन्तर्गत न्यायालय द्वारा जारी विशेष आदेशों (रिटों) को सविस्तार समझाइए। (1+5=6)
5. नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों एवं नीतियों को सविस्तार समझाइए
6. मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. संविधान द्वार प्रदत्त ओर संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते है।
2. सरकार।
3. 1928 में, स्वतंत्रता सेनानी मोती लाल नेहरू द्वारा अंग्रेजों से भारतीयों के लिए अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग की, उसे नेहरू समिति कहा गया।
4. वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किये जाते है।
5. इनको मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायक होते है।
6. दिसम्बर 1996 में
7. दक्षिण–अफ्रीका के नागरिकों को।
8. नहीं, यह पूर्ण नहीं हैं कुछ विशेष परिस्थितियों (आपातकाल) में निलंम्बित भी किया जा सकता है।
9. भाग तीन में।
10. अनुच्छेद–16 (4)।
11. किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर–कानूनी कार्य करने वाला है, इसे ही निवारक नजरबंदी कहते है।
12. अर्थ है–हम आदेश देते हैं। निचली अदालत अथवा किसी व्यक्ति को अपना कर्त्तव्य करने के लिए मजबूर करना।
13. यह आदेश (रिट) उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है, जिसने गलत तौर पर पद हासिल कर लिया हो।
14. उत्प्रेषण रिट का अर्थ है– हमें सूचना दी जाएं। इसमें निचली अदालत को किसी विशेष मामले का ब्यौरा उच्च या उच्चतर अदालत को देने का आदेश होता है।
15. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को।

दो अंकीय उत्तरः–

1. यह अधिकार वर्षो से चले आ रहे मूल्यों एवं सिद्धान्तों का प्रतीक है। इनके द्वारा व्यक्ति का सर्वागीण विकास होता है।

2. मौलिक अधिकार, विशेषकर अनुच्छेद–19 आपातकाल की स्थिति में निलम्बित किए जा सकते हैं।

3. इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के रूप में लिखकर, प्रेस द्वारा छपवाकर, तस्वीरों के द्वारा या कियी अन्य माध्यम से लागों तक पहुंचाना।

4. जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीबों से पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाना। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया।

5. न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय/जज के सामने उपस्थित होने/करने का आदेश दिया जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है।

6. (i) अनुच्छेद–23 राज्य पर सकारात्मक जिम्मेदारी डालता है कि वह व्यक्तियों के व्यापार, तथा बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए।

   (ii) अनुच्छेद–14, राज्य 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को खदानों, कारखानों एवं खतरनाक काम करवाने पर रोक लगाए।

7. (i) नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

   (ii) भारतीय लोकतंत्र का आधार हैं।

8. कानूनी अधिकार वे अधिकार होते है जिन्हें किसी देश के संविधान ने सूचीबद्ध कर रखा है। तथा जिसे उल्लघंन करने पर उल्लंघनकर्त्ता को सजा मिलती है।

9. नहीं, नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है। इनके उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते।

10. अन्तर– (i) मौलिक अधिकार न्याय संगत है। नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है।

    (ii) मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधकारी है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है।

11. सम्पत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक–अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। समाज में समानता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व, आर्थिक, सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करते हैं।

2. 1976 में, 42 वें संविधान संशोधन द्वारा, देश की रक्षा करना, देश में भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना, संविधान का सम्मान।

3. 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन। सदस्य–एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मानवधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो सदस्य होते हैं। कार्य–शिकायते सुनना, जांच करना तथा पीड़ित को राहत पहुंचाना।

4. मौलिक अधिकारों की विशेषताएं– (i) विस्तृत एवं व्यापक–संविधान के भाग तीन की 24 धाराओं में वर्णित। (ii) मौलिक अधिकार बिना भेदभाव के सभी के लिए। (iii) मौलिक अधिकार असीमित नहीं है–आपातकाल में इन पर प्रतिबंध लग सकता है। (iv) न्याय संगत है–किसी के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर वह न्यायालय जा सकता है।

5. अनुच्छेद–19
   (i) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
   (ii) संघ / समिति बनाने की स्वतंत्रता।
   (iii) सभा करने की स्वतंत्रता।
   (iv) भ्रमण करने की स्वतंत्रता।
   (v) व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। (कोई चार)

6. मौलिक अधिकारों के अलावा जन कल्याण एवं राज्य के उत्थान के जरूरी नियमों को 'राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त' के रूप में जाना जाता है। ये इन तत्वों के पीछे नैतिक शक्ति काम करती है। तीन प्रमुख बातें–
   (i) वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए।
   (ii) वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए।
   (iii) वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तर– (संकेत)

1. (क) नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार का पूरक माना गया है।

(ख) नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं

(ग) नैतिक शक्ति अथवा जनमत की शक्ति।

(घ) (i) मौलिक अधिकार न्याय संगत है। नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है।

(ii) मौलिक अधिकार कुछ कार्यों को करने पर प्रतिबंध लगाते हें जबकि निर्देशक तत्व कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।

(iii) मौलिक अधिकार व्यक्ति से तो निर्देशक तत्व समाज (राज्य) से संबंधित हैं। (कोई दो)।

छः अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तर–

1. मौलिक अधिकार– (i) समता, (ii) स्वतंत्रता, (iii) शोषण के विरूद्ध अधिकार। (iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (v) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

2. (i) कानून की नजर में गरीब एवं अमीर एक समान हैं। कानून की धाराएं सभी पर एक समान लागू होती है।

(ii) रंग, जाति, नस्ल, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव की मनाही।

(iii) रोजगर (नौकरियों) में अवसर–समान योग्यता, समान पेपर, समान परीक्षा में बैठने के मौके (अवसर)।

3. एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक महत्वपूर्ण होता है। उसको मत, धर्म, विचार मानने की आजादी होती है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए इस अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक कहते है। (i) किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार करने की आजादीं (ii) सर्वजन हिताय–धार्मिक समुदाय बनाने की आजादी। (iii) धर्म विशेष के लिए कर (TAX) न देने की आजादी। (iv) सरकारी स्कूल कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी।

4. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ . अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। रिट–(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (ii) परमादेश (iii) प्रतिषेध (iv) अधिकार पृच्छा (v) उत्प्रेषण।

5. उद्देश्य – लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय।

– जीवन स्तर ऊँचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण।

– अन्तर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा।

नीतियां – समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन।

6. (i) मौलिक अधिकार न्याय योग है। नीति निर्देशक तत्व नहीं।

(ii) मौलिक अधिकार निषेधात्मक जबकि नीति निर्देश तत्व सकारात्मक है।

(iii) मौलिक अधिकार व्यक्ति से जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज से संबंधित है।

(iv) मौलिक अधिकार का क्षेत्र सीमित है। नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र विस्तृत है।

(v) मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र है। निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र है आदि।

(vi) मौलिक अधिकार प्राप्त हो चुके है। निर्देशक तत्वों को लागू करवाना है।

अध्याय 3
चुनाव और प्रतिनिधि

विशेष बिन्दु–

चुनाव– अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे चुनाव (निर्वाचन) कहते हैं।

प्रतिनिधि–

अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में (संसद / विधानसभा) में भजती है, उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र–

प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा (दैनिक) के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे। जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं।

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र–

आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नही रहा। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थानपर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है। इसलिए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थित दर्ज करवाई जाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते है।

चुनाव और लोकतंत्र–

चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है तो चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है।

भारत में चुनाव व्यवस्था–

भारतीय संविधान मे चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम कानून एवं स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। विस्तृत नियम कानून संशोधन। परिवर्तन का काम विधायिका को दे रखा है।

चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसकी कार्यप्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी आदि सभी स्पष्ट रूप से लिखा है

चुनाव आयोग–

भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक तीन सदस्यी चुनााव आयोग है। जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दो अन्य चुनाव आयुक्त होते है। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे।

सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली–

इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजय होगा चाहे जीत का अन्तर एक वोट ही हो।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली–

(i) इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है, जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते है।

(ii) समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो रूप/प्रकार होते हैं। जैसे–इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दे दी जाती है। दूसरा प्रकार अर्जेटीना व पुर्तगाल में जहाँ पूरे देश को बहु–सदस्यायी निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है।

भारत में 'सर्वाधिक वोट से जीत की' प्रणाली क्यों स्वीकार की गई?–

(i) यह प्रणाली सरल है, उन मतदाओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है।

(ii) चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है।

(iii) देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते है।

निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण–

भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गो को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है।

सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार–

किसी जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के नागरिकों को मत देने का अधिकार।

चुनाव सुधार–

चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। उसमें अनेक कमियाँ और सीमाएं होती है। लोकतांत्रिक समाज को, अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है, जिसे चुनाव सुधार कहते है। जैसे भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित करना।

प्रश्नावलीः

एक अंकीय प्रश्नः–

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है?
2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है?
3. निर्वाचन किसे कहते है?
4. मतदाता से क्या अभिप्राय हे?
5. मतदाता सूचियां कौन तैयार करवाता है।
6. चुनाव–स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। यह जिम्मेदारी किसकी है?
7. आम चुनाव किसे कहते है?
8. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार किसे कहते है?
9. लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए।
10. अनुच्छेद–324(1) के माध्यम से किसी स्थापना की गई है?
11. बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते है?
12. पृथक निर्वाचन मंडल से क्या तात्पर्य है?
13. चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने का काम कौन करता है?
14. भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
15. भारत में राज्य सभा चुनावों मे कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।
16. देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो अन्तर लिखिए।
2. 'फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट' प्रणाली का क्या अर्थ है?
3. 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' किसे कहते है?
4. गुप्त मतदान प्रणाली किसे कहा जाता है?
5. पृथक निर्वाचन मंडल से क्या अभिप्राय है?
6. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं?
7. किसी चुनाव प्रणाली की सफलता के कौन से दो तत्व है?
8. परिसीमन आयोग से आप क्या समझते है? इसका गठन कौन करता है?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. 'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' और 'समानुपातिक प्रतिनिधत्व चुनाव व्यवस्था मे चार अन्तर लिखिए।
2. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के चार महत्व लिखिए।
3. भारत के निर्वाचन आयोग के चार मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।
4. प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था को समझाइए।
5. लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में कौन–कौन सी योग्यताएं तय की गई है?
6. 'लोकतंत्र में चुनाव का महत्व' विषय पर टिपण्णी लिखिए।
7. पृथक निर्वाचन मण्डल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए।

पाँच अंकीय प्रश्नः–

1. निम्नलिखित कार्टून को ध्यानपूर्वक देखो तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

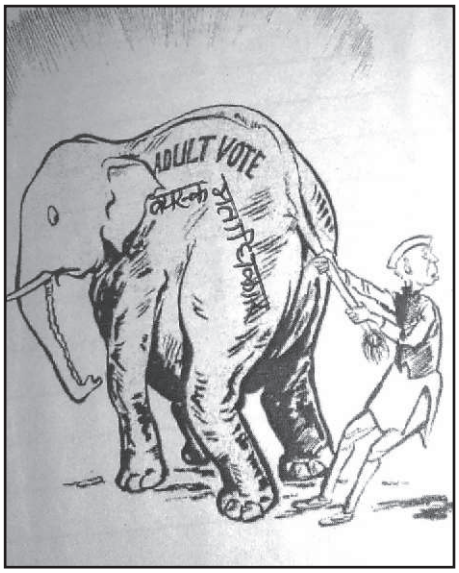

(क) कार्टून में हाथी किस समस्या की ओर संकेत करता नजर आता है? (1)

(ख) हाथी की पूंछ खींचना किस ओर इशारा करता है? (1)

(ग) हाथी की पूंछ खींचने वाले नेता का नाम लिखिए? (1)

(घ) व्यस्क मताधिकार से आप क्या समझते है? (2)

छः अंकीय प्रश्न–

1. भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई छः सुझाव सुझाइए। वर्णन करो।
2. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन प्रक्रिया को समझाते हुए, उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।
3. भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सविस्तार समझाइए।
4. भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
5. ''चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्कें के दो पहलू है।'' इस कथन को समझाते हुए चुनावों का लोकतंत्र में महत्व क्या है? समझाइए।

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः–

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेता है।
2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसी शासन व्यवस्था होती हैं जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजते है तथा प्रतिनिधि सरकार चलाने तथा आम फैसले लेते है।
3. लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते है।
4. भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को मत देने का अधिकार है, उसे हम मतदाता कहते है।
5. चुनाव आयोग।
6. चुनाव आयोग।
7. लोकसभा या विधानसभा के निश्चित पांच वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते है।
8. 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी स्त्री–पुरूष एवं अन्य भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने के अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं।
9. 25 वर्ष।
10. संविधान के अनुच्छेद–324 (1) के अनुसार भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है।
11. भारत में निर्वाचन कि विधि–''जो सबसे आगे वही जीते'' / प्रणाली को अपना रखा है। इसे ही बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं।
12. पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे।
13. परिसीमन आयोग।
14. राष्ट्रपति।
15. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली।
16. श्री सुकुमार सेन।

दो अंकीय उत्तरः–

1. (i) प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधा भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष में जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि भाग लेते है।

   (ii) प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन मानता है जबकि अप्रत्यक्ष में जन प्रतिनिधि अपने आपको शासन समझते है।

2. इस प्रणाली का अर्थ यह है कि जो प्रत्याशी चुनावी दौड़ में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वहीं विजयी होता है।

3. इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जैसे कहीं पर पूरे देश में एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है जैसे–इज़राइल व नीदरलैंड। तथा कहीं पर पूरे देश को बहु–सदस्ययी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है।

4. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में प्रतिनिधियों के चुनाव करवाने की प्रणाली गुप्त मतदान की है । इसमें मतदाता के अलावा किसी को पता नहीं चलता कि किसको वोट दिया गया है।

5. पृथक निर्वाचन मण्डल का अभिप्राय यह है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे।

6. संविधान में व्यवस्था कि गई है कि अल्पसंख्यकों या निम्न वर्गों के जन प्रतिनिधि भी संसद में पहुंचे उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन विभाग समय–समय पर वर्ग विशेष, महिला विशेष के लिए आरक्षित सीट कर देता है उसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं।

7. (i) स्वतंत्र चुनाव

   (ii) निष्पक्ष / पारदर्शी चुनाव

8. भारत में निर्वाचन आयोग के साथ काम करने वाली संस्था जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करती है तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करती है उसे परिसीमन आयोग कहते है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

चार अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तर–

1. अन्तर–

सार्वधिक वोट पाने वाले की जीत	समानुपातिक प्रतिनिधित्व
(i) देश को छोटे–छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते है।	(i) पूरे देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है

(ii) हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है।	(ii) एक से अधिक चुने जाते है।
(iii) मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है।	(iii) मतदाता पार्टी को मत देता है।
(iv) प्रत्याशी को मतदाता व्यक्तिगत जानते है।	(iv) इसमें मतदाता पार्टी को रूप से वोट देता है इसलिए प्रत्याशी को नही जानता।

2. (i) सार्वभौमिक मताधिकार से जन प्रभुसत्ता सिद्धान्त लागू होता है।
   (ii) यह लोकतांत्रिक सिद्धान्त के अनुरूप है।
   (iii) व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है।
   (iv) इससे राजनीतिक जागरूकता आती है।
3. (i) मतदाता सूची तैयार करना।
   (ii) चुनाव की तिथि तय करना।
   (iii) चुनाव कराना, निरीक्षण करना।
   (iv) चुनाव परिणाम जारी करना।
4. सम्पूर्ण नगर राज्य के लोग एक खुले स्थान पर एकत्रित होते तथा अपने प्रतिनिधि को हाथ उठाकर चुनते तथा रोजमर्रा के सरकारी फैसला हाथ उठवाकर प्रत्यक्ष रूप से जनता से स्वीकृति प्राप्त करते थे। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली कहते है।
5. (i) भारत का नागरिक हो।
   (ii) आयु 25 वर्ष हो।
   (iii) लाभ के पद पर ना हो।
   (iv) पागल या दिवालिया ना हो।
   (v) अपराधिक प्रवृत्ति का या सजा याफ्ता ना हो।
6. लोकतंत्र में चुनावों को बहुत महत्व है– चुनाव व लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज विश्व में सौ से अधिक देशों में लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है।
7. पृथक निर्वाचन मण्डल में–एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय विशेष के लोग वोट डाल सकते है।
   आरक्षित चुनाव क्षेत्र–में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है।

पांच अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तर–

1. (क) प्रथम आम चुनाव में अनुभवहीन विशाल मतदाताओं को नियंत्रित करके सफल मतदान करवाना।

(ख) अनियंत्रित मतदाताओं को चुनाव में मतदान के लिए तैयार करने का प्रयास।

(ग) पं. जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में प्रथम आम चुनाव हुए।

(घ) 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार देना।

छः अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तर–

1. चुनाव सुधार –

(i) सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाएं।

(ii) ससंदीय एवं विधान सभाओं में एक तिहाई सीटों पर महिलाओं का चुनाव।

(iii) चुनावों में धन के प्रभाव पर नियंत्रण।

(iv) फौजदारी मुकद्दमें वाले की उम्मीदवारी रद्द।

(v) चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित हो।

(vi) राजनीति दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र हो।

2. मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति–राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल–छः वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। वेतन–उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश के समान होता है। कार्य– (1) मतदाता सूची तैयार करना, (2) चुनाव (3) कार्यक्रम तय करना, (4) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना (5) राष्ट्रीय एक राज्यपार्टी के रूप में दलों/पार्टीयों का मान्यता देना। (6) चुनावों का निरीक्षण करना। (7) राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना।

3. चुनाव प्रक्रिया– (i) चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होना (ii) चुनावों की तिथि, आवेदन करने, नाम वापस लेने की तिथि। चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रचार की निगरानी करना, तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना, मतगणना कराना तथा चुनाव परिणाम घोषित करना। (चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान केन्द्रों की स्थापना)

4. चुनाव प्रणाली की विशेषताएं–

भारत में 'सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली' को अपना रखा है इसकी विशेषताएं है– (i) यह सरल है। (ii) इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाब देह होते है। (iii) मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता है। (iv) यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धान्त पर आधारित है। (v) इसमें खर्च कम आता है। (vi) इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।

5. लोकतंत्र में चुनाव का महत्व– (i) प्रतिनिधि चुनाव जीत कर सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते है। (ii) चुना हुआ प्रतिनिधि जनमत के अनुसार काम करेगा। (iii) इस व्यवस्था में जनता में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। (vi) लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है जो चुनाव द्वारा ही संभव है। (v) नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा उचित प्रतिनिधित्व से ही है। (vi) उचित प्रतिनिधित्व से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।

अध्याय 4
कार्यपालिका

कार्यपालिक का अर्थ–सरकार के उस अंग से है जो कायदे–कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते है।

सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री य मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा (सिविल सेवा के सदस्य) भी आते है।

राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते है।

स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज–रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते है, को सम्मिलित किया जाता है।

कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है?

– अमेरिका में अध्याक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है।

– कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।

– फ्रांस में राष्ट्रपति ओर प्रधानमंत्री अर्द्वअध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

– जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है।

– इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।

– रूस में एक अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।

– जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है।

– अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राजील और लेटिन अमेरकिा के कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है।

– संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाममात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है।

– अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है।

भारत में संसदीय कार्यपालिका–

– हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था।

अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्यूंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ–साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगें हो।

– संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया।

– इस व्यवस्था में राष्ट्रपति, भारत में राफ का औपचारिक प्रधान होते है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते है। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते है।

– औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है वह भी अप्रत्यक्ष

तरीके से, निर्वाचित सांसद और विधायक करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एक संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है।

– संसद, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है

राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति–

– एक औपचारिक प्रधान हैः राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी (कानून बनाना) कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त है परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार–

संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार	1. मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है। 2. वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलम्ब। 3. चुनाव के बाद कई नेताओं के दावें के समय यह निर्णय करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा।

आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है?

– संसदीय व्यवस्था मे, समर्थन न रहने पर, मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकें।

– भारत का उपराष्ट्रपतिः पांच वर्ष के लिए चुना जाता है, जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाया जाने या अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद–

– प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे ही वह बहुमत खो देता है, वह अपना पद भी खो देता है।

– प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का प्रधानः वह ही तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के पद स्तर और मंत्रालयों का आबंटन करता है। इसी कारण वह मंत्रिपरिषद का प्रधान भी होता है

– संसद का सदस्य होना अनिवार्यः प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे छः महीने के भीतर ही ससंद (किसी भी संदन) के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है।

– मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिएः संविधान के 91 वे संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यो की संख्या लोकसभा या राज्यों की विधानसभा की कुल सदस्या संख्या का 15ः से अधिक नही होनी चाहिए।

– मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायीः इसका अर्थ है जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यह सिद्धांत मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरूद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

– प्रधानमंत्री का स्थान, सरकार में सर्वोपरि हैः मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है।

– प्रधानमंत्री सरकार की धुरीः प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम करता है वह संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारें में राष्ट्रपति को सूचित करता है।

प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत

मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण	लोकसभा का नेत्तृत्व	मीडिया तक पहुंच	चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रीय नेता की छवि	अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य	विदेश भाषाओ के दौरान नेता की छवि	

– गठबंधन की सरकारों की वजह से प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफी परिवर्तन आ गए है। 1989 से भारत में हमने गठबंधन सरकारों का युग देखा है। इनमें से कुछ

सरकारें तो लोकसभा की पूरी अवधि तक भी सत्ता में न रह सकीं। ऐसे में प्रधानमंत्री का पद उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना एक दल के बहुमत वाली सरकार में होता है:–

प्रधानमंत्री पद की शक्तियो में आए बदलाव–

1. प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है।
2. राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है।
3. प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है।
4. सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनती है।

राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप–

– राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो (केन्द्रीय सरकार की सलाह पर) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।

– मुख्यमंत्री विधान सभा में बहुमत दल का नेता होता है।

– बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केन्द्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है।

स्थायी कार्यपालिका (नौकरशाही)

कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन, सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते है।

– नौकरशाही में सरकार के स्थाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं।

– भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। प्रजातंत्र में सरकारे आती जाती रहती है ऐसी स्थिति में, प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करें।

– नौकरशाही के सदस्यों का चुनावः नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी

एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) को सौंपा गया है।

– ऐसा ही लोकसेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए है जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है।

– लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है।

– लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता व योग्यता को आधार बनाकर की जाती हैं संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ–साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है।

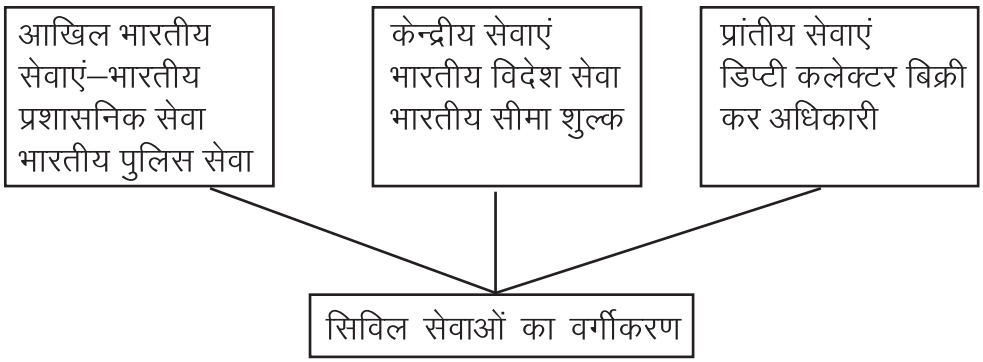

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस) तथा भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिलाधिकारी (कलेक्टर) उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और ये समान्यतः आई ए एस का स्तर अधिकारी होता है।

प्रश्नावलीः

एक अंकीय प्रश्नः–

1. कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है?
2. कार्यपालिका में मुख्यतः किन–किन लोगों को सम्मिलित किया जाता है?
3. भारत और इंग्लैंड की कार्यपालिका में प्रमुख अंतर क्या है?
4. अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए
5. अर्धअध्याक्षात्मक कार्यपालिका भारत के किस पड़ौसी देश में पाई जाती है?
6. अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति से संबंधित किस प्रावधान का उल्लेख किया गया है?
7. भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त एक स्वविवेक की शक्ति का उल्लेख?
8. राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है।
9. राष्ट्रपति को प्राप्त 'वीटो की शक्ति' से क्या अभिप्राय है?
10. भारत में गठबंधन की सरकारों का युग कब से शुरू हुआ।
11. संविधान के 91 वें संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद से संबंधित किस प्रावधान को सम्मिलित किया गया है?
12. किस व्यक्ति ने सरकार की ''केन्द्रीय धुरी, प्रधानमंत्री है,'' की संज्ञा दी।
13. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
14. राष्ट्रपति को उसके पद से कब हटाया जा सकता है?
15. स्थायी कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है?
16. भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती का कार्यभार किसे सौंपा गया है?
17. जिला कलेक्टर सामान्यतः किस स्तर का अधिकारी होता है?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. कार्यपालिका के किन्हीं दो रूपों का वर्णन करों।
2. सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं?
3. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है?
4. 'राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है' स्पष्ट करो?

5. ''मंत्रीगण एक साथ तैरते है तथा एक साथ डूबते हैं'' इस कथन का क्या आशय है?

6. ''प्रधानमंत्री'' किन शक्तियों पर निर्भर करता है। कैसे?

7. ''राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है''। कैसे?

8. ''भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है'' स्पष्ट करें।

9. समाज के सभी वर्ग नौकरशाही का हिस्सा बन सकें इस उद्देश्य के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए है?

10. ''नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है'' क्या आप इस कथन से सहमत है?

चार अंकीय प्रश्न

1. राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थाई कार्यपालिका में चार अंतर बताएं।

2. संसदीय कार्यपालिका की चार विशेषताएं बताएं।

3. ''अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है'' कैसे?

4. राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों का वर्णन करो।

5. राष्ट्रपति के दो विशोषाधिकारों की व्याख्या करो।

6. ''प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता।'' क्यों?

7. ''प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है'', स्पष्ट करों।

8. गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़े हैं?

पांच अंकीय प्रश्न

1. (क) संविधान ने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी लेकिन उसके पद की प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता था और न ही एकदम नाममात्र का प्रधान''।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो–

(1) ''संविधान में राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी'' क्यों?

(2) संविधान राष्ट्रपति को किस प्रकार का प्रधान बनाना चाहता है?

(3) वास्तविक शक्तियां किसको प्रदान की गई है?

(ख)

प्रश्नों के उत्तर दो–

(1) चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा हे? उसके सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है? (2)

(2) किन्हीं दो नेताओं को पहचाने उनके नाम लिखे। (1)

(3) प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के दो कारण लिखे। (2)

(ग)

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो–

(1) विश्वास मत से क्या अभिप्राय है? (1)

(2) सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है? (2)

(3) ''विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती, इस कथन का क्या अभिप्राय है। (2)

छः अंकीय प्रश्न

1. राष्ट्रपति के स्थिति तथा कार्यों का वर्णन करों।
2. क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है'' तीन उचित तर्क दीजिए।
3. जब संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तब प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को बनाया जाता है? ऐसे में प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
4. आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली तथा शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा किन कारणों से होता है?
5. नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका की किस प्रकार से सहायता करती है?

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः–

1. सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करता है।
2. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही।
3. भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्षा रूप से चुना हुआ अध्यक्ष है जबकि इंग्लैंड की रानी राजतंत्रीय पद्वति के द्वारा बनी राष्ट्राध्यक्ष है।
4. जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका तथा विधानपालिका दोनों का ही अध्यक्ष होता है।
5. श्रीलंका
6. 74(1) राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए उनकी सलाह के अनुसार काम करेगा।
7. जब किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जिसे सदन का बहुमत प्राप्त हो।
8. आमतौर पर राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो।
9. इसमें राष्ट्रपति संसद से पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देने में विलम्ब कर सकता है।
10. 1989
11. मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होती।
12. प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू।
13. राष्ट्रपति।
14. असंवैधानिक कार्य के लिए।
15. जो लोग अपनी योग्यता ओर दक्षता के बल पर चुने जाते है और एक निश्चित कार्यकाल तक वे अपने पद पर बने रहते है।
16. संघ लोक सेवा आयोग।
17. भारतीय प्रशासनिक सेवा।

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. संसदीय कार्यपालिका
2. अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्याग पत्र देता पड़ता है।
3. जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति
   (1) अध्यादेश जारी कर सकता है।
   (2) यदि देश पर आक्रमण हो जाए।
   (3) यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए।
4. क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद करती है।
5. यदि एक मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर न दे पाएं तो प्रधानमंत्री उससे त्यागपत्र देने को कहता है यदि वह त्यागपत्र न दें तो प्रधानमंत्री स्वंय अपना त्याग पत्र दे देता है और सरकार गिर सकती है।
6. जब सदन में पूर्ण बहुमत होता है तो प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली हो जाता है पंरतु जब बहुमत नहीं होता तो उसे सभी काम सहयोगी दलों के नेताओं से सलाह करके करने पड़ते है।
7. क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है इसीलिए संबंधित राज्य में राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है।
8. भारत में लोकसेवक प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी होते है वे अपने–अपने विषय में पारंगत होते है इसलिए नीतियों को बनाने और लागू करने में वे राजनीतिज्ञों की सहायता करते है।
9. संविधान में दलित तथा आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया।
10. क्योंकि नौकरशाही के सदस्य दक्ष और निपुण होते है और वे राजनीतिज्ञों को नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करते है।

4 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. राजनीतिक कार्यपालिका– 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, समय से पहले भी हटाई जा सकती है। अपने कार्यों में निपुण नहीं होते।
   स्थाई कार्यपालिका–रिटायरमेंट की आयु तक काम करते है अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होने के कारण राजनीतिक कार्यपालिका को मदद करते है।

2. सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री
   – राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा या रानी
   – विधायिका में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री
   – विधायिका के प्रति उत्तरदायी
3. अध्यक्षात्मक– देश का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से निर्वाचन, विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना।
4. विधायी कार्यपालिका, न्याय संबंधी, तीनो सेनाओं का सेनापति।
5. (1) वीटो (2) गठबंधन की सरकार के समय प्रधानमंत्री का चुनाव
6. क्योंकि केवल लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। गठबंधन के समय भी जिस व्यक्ति को सदन का विश्वास प्राप्त होता है उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है।
7. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, सदन की कार्यवाहियों से अवगत कराता है और सदन को राष्ट्रपति का संदेश देता है।
8. राजनीतिक सहयोगियों से विचार विमर्श बढ़ा है
   – मंत्रियों का चयन अपनी इच्छा से नहीं कर सकता
   – नीतियों और कार्यक्रम अकेले तय नहीं कर सकता
   – मध्यस्थ की भूमिका बन गई है।

5 अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (क) 1. क्योंकि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्तियां दी जाती है।
   2. प्रभुता पूर्ण ओर गारिमामय
   3. प्रधानमंत्री

   (ख) 1. पं. जवाहर लाल नेहरू क्योंकि वो प्रधानमंत्री है
   2. अध्यापक की सहायता से पहचानें व उत्तर दें।
   3. – क्योंकि वह बहुमत दल का नेता है
      – वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है।

   (ग) 1. सदन में बहुमत
   2. संसद के प्रति उत्तरदायी
   3. क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति यदि दल छोड़ दें तो फिर से वहीं संकट आ जाएगा।

छः अकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. स्थितिः राष्ट्र का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति, नाममात्र की शक्तियां
2. हां, क्योंकि
   (1) संविधान में ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 74 (1)
   (2) क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित प्रधान नहीं है।
   (3) प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी है।
3. तब राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो सदन में बहुमत प्राप्त कर लेता है प्रधानमंत्री की एकाधिकारवादी शक्तियां कम हो जाती है और विचार–विर्मश अधिक हो जाता है।
4. – मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण
   – अधिकारी वर्ग पर अधिपत्य
   – लोकसभा का नेतृत्व
   – मीडिया तक पहुंच
   – चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार,
   – अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि
   – विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि
5. नौकरशाही मंत्रियों को नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में सहायक, प्रशासन मंत्रियों के निमंत्रण में रूप से तटस्थ, नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं।

अध्याय 5
विधायिका

विधायिका

संघ की विधायिका की संसद कहा जाता है, यह राष्ट्रपति और दो सदन, जो राज्य परिषद (राज्य सभा) और जनता का सदन (लोक सभा) कहलाते है, से बनती है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं

1. लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनायी गयी है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित हैं
2. सरकार के तीन अंग होते हैः विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधायिका का चुनव जनता द्वारा होता है। इसलिए यह जनता का प्रतिनिधी बनकर कानून का निर्माण करता है। इसकी बहस विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवन बनाए रखती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में दो सदनों के साथ–साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता हैं
4. दि–सदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गो और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। दूसरा लाभ संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो।
5. भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा हैं इसके अधिकतम 250 सदस्य होते है जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्ख्य सभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा, खेल आदि क्षेत्रों से लिये जाते है।
6. अमेरिका के द्वितीय सदन (सीनेट) में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है।
7. राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं–

   (1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) 30 वर्ष की आयु का हो।

इनका निर्वाचन एक संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है।

8. 1951 के जन–प्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोक सभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निवाचक क्षेत्र में पंजीकृत आवश्यक है।

(1) राज्य सभा की शक्तियां व कार्य।

(2) वित्तिय शक्तियां।

(3) वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है।

(4) संविधान–संशोधन संबंधी शक्तियां।

(5) प्रशासनिक शक्तियां– मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते है।

(6) अन्य शक्तियाँः चुनाव, सहभियोग, आपात स्थिति की घोषणा न्यायधीश को उसके पद से हटाया जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है।

9. लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसमे अधिकतम 550 सदस्य हो सकते है। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य है और दो सदस्य (एंग्लो इंडियन) को राष्ट्रपति मनोनित कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों को चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता हैं इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है परंतु उसे समय से पहले ही भंग किया जा सकता है।

10. भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे कार्यपालिका को हटाने को शक्ति भी प्राप्त है।

संसद के प्रमुख कार्यः

(1) कानून बनाना।

(2) कार्यपालिका पर नियंत्रण।

(3) वित्तीय कार्यः बजट पारित करना

(4) संविधान संशोधन।

(5) निर्वाचन संबंधी कार्य।

(6) न्यायिक कार्य।

(7) प्रतिनिधित्व।

(8) बहस का मंच।

11. लोकसभा की विशेष शक्तिः धन विधेयक प्रस्तुत करना उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है।

12. मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

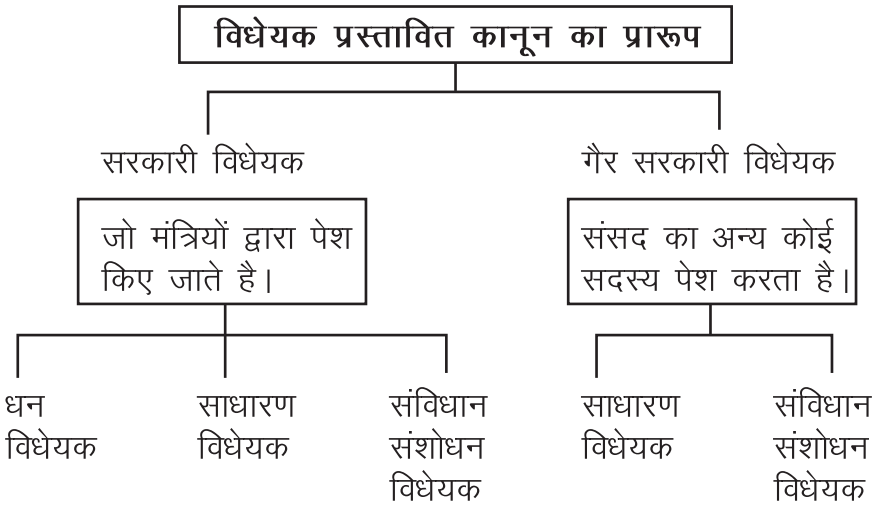

प्रक्रियाः

(1) प्रथम वाचन।

(2) द्वितीय वाचन (समिति स्तर)

(3) समिति की रिपार्ट पर चर्चा

(4) तृतीय वाचन।

(5) दूसरे सदन में प्रक्रिया।

(6) राष्ट्रपति की स्वीकृति।

संसदीय नियंत्रण के साधन–

(1) बहस और चर्चा– प्रश्न काल, शून्य काल, स्थगन प्रस्ताव।

(2) कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति।

(3) वित्तीय नियंत्रण।

(4) अविश्वास प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव।

संसदीय समितियांः

विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है

वित्तीय समितियांः

(1) लोक लेखा समितिः भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं।

(2) प्राकलन समिति– खर्च में किफायत किस तरह की जा सकती है।

(3) लोक उपक्रम– सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग का व्यवसाय कुशलता पूर्वक चलाया जा रहे है या नहीं।

विभागीय स्थायी समितियांः

(1) नियमन समिति।

(2) विशेषाधिकार समिति।

(3) कार्य–मंत्रणा समिति।

(4) आश्वासन समिति।

तदर्थ समितियांः

विशिष्ट विषयों की जांच–पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय–समय पर गठन किया जाता है। बौफोर्स समझौतों से संबंधित संयुक्त समिति। समितियों द्वारा दिये गए सुझावो को संसद शायद ही नामंजूर करती है।

संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है–

(1) संसद का सार्थक व अनुशासित होना।

(2) सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले सर्वोच्च अधिकारी होता है।

(3) दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52 वां संशोधन किया गया। 91 वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया।

यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद–सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करें अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दें उसे 'दलबदल' कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकता है।

(4) भारतीय संघात्मक सरकार में 28 राज्य 7 केंद्र शासित इकाईयों को

मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्ररीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया हैं

(5) भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्वि–सदनीय व्यवस्था है।

(6) राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है। (1) निम्न सदन को विधानसभा। (2) उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है।

द्विसदनीय राज्यः जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र व कर्नाटक है। बाकी सभी राज्य एक सदनीय है।

(1) विधानसभा की शक्तियां–

(i) विधायी कार्यशक्ति।

(ii) वित्तीय शक्तियां।

(iii) कार्यपालिका शक्तियां।

(iv) चुनाव संबंधी कार्य।

(v) संविधान संशोधन सबंधी शक्तियां।

(2) विधान परिषद की शक्तियां–

(i) विधायी शक्तियां।

(ii) वित्तीय शक्तियां।

(iii) कार्यपालिका शक्तियां।

दोनों सदन राज्य विधानपालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली स्थित प्रदान की है।

प्रश्नावलीः

एक अंकीय प्रश्नः–

1. राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है?
2. राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु निर्धारित को गई है?
3. राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है?
4. कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसक निर्णय करने का अधिकार किसके पास है?
5. भारतीय संसद का कौन–सा सदन अधिक शक्तिशाली है?
6. संसद की किन्हीं दो समितियों के नाम लिखिए।
7. भारत में मंत्रिपरिषद् किस सदन के प्रति उत्तरदायी है?
8. संविधान संशोधन विधेयक किस विषय से संबंधित है?
9. संविधान का 52 वां संशोधन किस विषय से संबंधित है?
10. दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
11. राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है?
12. लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गये है?
13. लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थानी आरक्षित रखे गये है?
14. जी.वी. मावलंकर लोकसभा के ..... स्पीकर थे?
15. वर्तमान में किस नये राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. दि–सदनात्मक विधायिका के पक्ष में दो तर्क दीजिए?
2. भारत के किन्हीं चार राज्यों के नाम लिखिए जिनमें द्वि–सदनात्मक विधायिका है?
3. राज्यसभा को संरचना स्पष्ट कीजिए?
4. लोकसभा की दो विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए?
5. वित्त विधेयक और गैर विधेयक में अंतर है?
6. मिलान करो–

(क)	राज्य सभा में मनोनीत सदस्य	(1) राज्यसभा
(ख)	निम्न सदन	(2) लोकसभा

(ग) ऊपरी सदन (3) 2

(घ) लोकसभा में मनोनीत सदस्य (4) 12

7. दलबदल में क्या अभिप्राय है?

8. राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दो योग्यताएं कौन–सी है?

9. राज्यसभा की दो विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए?

10. किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है?

चार अंकीय प्रश्न–

1. संसद की आवश्यकता महत्व स्पष्ट कीजिए?

2. लोकसभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन कीजिए?

3. लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए?

4. राज्यसभा की विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए?

5. भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के कोई चार चरण बताइए?

पांच अंकीय प्रश्न–

1. भारत के मानचित्र का अध्ययन करें तथा द्वि सदनात्मक विधायिका वाले पांच राज्यों का नाम लिखें। (पांच अंकों के लिए पांच स्थान दिखाये जा सकते है।)

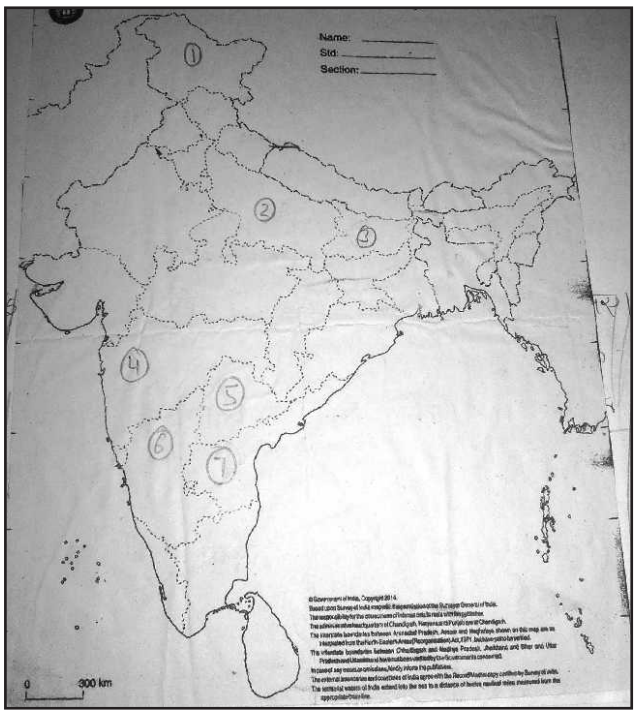

उपरोक्त कार्टून के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(i) सदन से वॉक आऊट करना क्या एक उचित तरीका है? स्पष्ट करें। (2)

(ii) अध्यक्ष सदस्यों को सदन से किस आधार पर आऊट कर सकते है? (कोई दो कारण) (2)

(iii) सदस्यगण वॉक आऊट जैसा व्यवहार क्यों करता हैं? अपना विचार प्रस्तुत करें। (1)

छः अंकीय प्रश्न–

1. लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है।
2. लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत है? कारण दें।
3. संसद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें?

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः–

1. राज्यसभा स्थाई सदन है।
2. 30 वर्ष।
3. उप–राष्ट्रपति।
4. लोकसभा अध्यक्ष को।
5. लोकसभा।
6. (1) लोक लेखा समिति।
   (2) प्राकलन समिति।
7. लोकसभा के।
8. दोनो में से किसी भी सदन में।
9. दल–बदल कानून से।
10. लोकसभा अध्यक्ष।
11. राष्ट्रपति।
12. 79
13. 40
14. प्रथम
15. तेलंगाना

दो अंकीय उत्तरः–

1. (1) समाज के सभी वर्गों व क्षेत्रों की समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है।
   (2) दूसरा सदन प्रथम सदन के कार्यभार कम करता है।
2. (1) जम्मू कश्मीर (2) उत्तरप्रदेश (3) बिहार (4) कर्नाटक
3. राज्यसभा के कुल सदस्य 250 है जिसमें 238 राज्यों द्वारा निर्वाचित क्षेत्र और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है।
4. (1) धन विधेयक पेश करना (2) मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण।
5. संविधान में संशोधन के लिए या सामान्य विधयकों को गैर वित्त विधेयक कहते है जबकि धन संबंधी विधेयकों को वित्त विधेयक कहते है जैसे कर लगाने के प्रस्ताव का बजट।

6. मिलान करो–

(क) (4)

(ख) (2)

(ग) (1)

(घ) (3)

7. जब कोई सदस्य स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दें और दल की सदस्यता ग्रहण कर लें उसे दलबदल कहते है।

8. (1) वह भारत का नागरिक हो।?

(2) वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

9. (1) राज्य सभा, राज्य के अंतर्गत आने वाली विषयों पर राष्ट्रीय हित हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।

(2) राज्यसभा किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का राष्ट्र के हित में गठन कर सकती है।

10. जब दोनों में मतभेद हो।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (i) विधि निर्माण।

(ii) बजट पारित करना।

(iii) सरकार पर नियंत्रण।

(iv) संविधान में संशोधन।

2. उत्तर के लिये पाठ्य पुस्तक का पेज नं. 110 देखे।

3. (i) भारत का नागरिक।

(ii) आयु 35 वर्ष।

(iii) पागल व दिवालिया न हो।

(iv) किसी लाभप्रद सरकारी पद पर न हो।

4. उत्तर के लिये पाठ्य पुस्तक का पेज नं. 110 देखें।

5. प्रथम वाचन

द्वितीय वाचन

तृतीय वाचन

राष्ट्रपति की स्वीकृत (व्याख्या सहित)।

पाँच अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. I जम्मू और कश्मीर
   II उत्तर प्रदेश
   III बिहार
   IV महाराष्ट्र
   V आंध्रप्रदेश
   VI कर्नाटक
   VII तेलंगाना (कोई पांच)

प्र01 (i) नहीं, क्योंकि सदन एक ऐसा मंच है। जहां पर वाद–विवाद चर्चा, बहस व सहमति के आधार पर किसी समस्या का समाधान खोजा जाता है।

(ii) अनुशासनहीनता पर ।

(iii) विद्यार्थी स्वयं उत्तर लिखें।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (i) प्रश्न, पूरक, प्रश्न , काम रोको प्रस्ताव आदि से
   (ii) अविश्वास प्रस्ताव
   (iii) मंत्रीपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी
   (iv) जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि
   (v) लोकप्रिय सदन
   (vi) सदस्य संख्या अधिक
2. (i) जनता के चुने प्रतिनिधि होने के कारण
   (ii) जनहित में कानून बनाना।
   (iii) जनआकांक्षाओं एवं भावनाओं से परिचित होना।
   (iv) चुनाव के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेहिता। (व्याख्या सहित)
3. कानून बनाना
   कार्यपालिका पर नियंत्रण
   बहस व चर्चा
   वित्तीय नियंत्रण व अविश्वास प्रस्ताव आदि।

अध्याय 6
न्यायपालिका

न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पांच के रूप में देखा जाता है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता के सुनिश्चित करें। इसके लिये यह जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सकें। इस न्यायपालिका देश के संविधान लोकतांत्रिक परम्परा और जनता के प्रति जवाबदेह है।

विधायक और कार्यपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुचाएं तांकि कार्यों में यह ठीक ढंग से न्याय कर सकें।

न्यायधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें।

न्यायधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी मुक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इनका निशिचित कार्यकाल होता है। वे सेवा निवृत्त होने तक पद पर बने रहते है। विशेष स्थितियों में न्यायधीशों को हटाया जात सकता है।

न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है।

न्यायधीश की नियुक्ति–

मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्यन्याधीय– ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया की प्रभावित करते है।

मुख्य न्यायधीश नियुक्ति के संदर्भ में यह परम्परा भी है कि सर्वोच्च न्यायलय के सबसे वरिष्ठ न्यायधीश को इस परम्परा को दो बार तोड़ा भी गया है।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायलय के अन्य न्यायधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायधीश की सलाह से करता है। ताकि न्यायलय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बने रहे।

न्यायपालिका की पिरामिड रूपी सरंचना है–

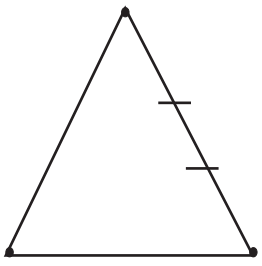

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार–

मौलिक अधिकारः केन्द्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा।

रिटः मौलिक अधिकारों का संरक्षण

अपीलीय

दीवानी फौजदारी व संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायलयों के मुकदमों पर अपील सुनना।

सलाहकारी

जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।

विशेषाधिकार

किसी भारतीय अदालत के दिये गये फैसले पर स्पेशल लीव पिटीश्न के तहत अपील पर सुनवाई।

भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जन हित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है।

– 1979–80 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायधीश ने उन मामलें मे रूचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायलय ने जन सेवा की भवन से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से–याचिकाएं दायर करने को इजाजत दी।

– न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतंत्रिक बनाया ओर कार्यपलिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई।

– चुनाव प्रणाली को भी ज्यादा मुक्त ओर निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया।

– चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशियों की अपनी संपति आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र दने का निर्देश दिया, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।

सक्रिय न्यायपालिका का नकरात्मक पहलूः–

– न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा

– न्याायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया जैसे–वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका की देखारेख में प्रशासन की करना चाहिए।

– सरकार का प्रत्येक अंश एक–दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करें।

न्यायपालिका और अधिकारः–

– न्यायिक पुनरवालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायलय किसी भी कानून की सवैधानिकता जांच कर सकता है यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर–संवैधानिक घोषित कर सकता है।

– संघीय संबंधी (केंन्द्र–राज्य संबंध) के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पर प्रयोग कर सकता है।

– सरकार का प्रत्येक अंश एक–दूसरे की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का सम्मान करें।

न्यायपालिका और अधिकार–

– न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायलय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच कर सकता है यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरित हो तो उसे गैर–संवैधानिक घोषित कर सकता है।

– संघीय संबंधी (केंद्र–राज्य संबंध) के मामलें में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

– न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती हैं। प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है।

– नागरिकों के अधिकारी की रक्षा करती है।

– जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारी की रक्षा ने न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है।

न्यायपालिका और संसद–

भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र है। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद व न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के

बीच टकराव भारतीय राजनैतिक की विशेषता रही है।

– संपत्ति का अधिकार।

– ससद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में।

– इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता।

– निवारक नजरबंदी कानून।

– नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून।

1973 में सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय

संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचें से छेड़–छाड़ नहीं कर सकती। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढाँचें को नहीं बदला जा सकता।

संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायलय ने कहा कि यह मूल ढाँचें का हिस्सा नहीं है उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

न्यायलय ने यह निर्णय अपने पास रखा कि कोई मुद्रा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है।

संसद व न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते है। संविधान यह व्यवस्था करना है कि न्यायधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती लेकिन कर्र अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है।

लोकतंत्र में सरकार ने एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बेहद जरूरी है।

प्रश्नावलीः

एक अंकीय प्रश्नः–

1. वाक्य के शुद्ध करके लिखो।

   उच्च न्यायलय के फैसले भारतीय भू–भाग के अन्य सभी न्यायलयों पर बाध्यकारी हैं।

2. भारत में कुल कितने उच्च न्यायलय है?
3. भारत के मुख्य न्यायधीश का वेतन कितना है?
4. भारतीय न्यायपालिका कब से संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने कार्य कर रही है?
5. वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है।
6. कौन से न्यायलय द्वारा जारी निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायलय में अपील नहीं की जा सकती है?
7. जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल की गई है?
8. भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर कार्यरत्त रह सकता है?
9. भारत के मुख्य–न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर परम्परा को कब तोड़ा गया?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. जनहित याचिका कब व किसके द्वारा आरम्भ की गई?
2. जनहित याचिका में क्या परिवर्तन किया गया?
3. जनहित याचिका से किसकी लाभ पहुंचता है?
4. न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है?
5. सर्वोच्च न्यायालय की अपने ही फैसले बदलने की इजाजत क्यों दी जाती है?
6. न्यायपलिका अनुच्छेद 32 का प्रयोग क्यों तथा किस प्रकार करती है।
7. अनुच्छेद 226 जारी करने कार अधिकार किसका है तथा कैसे?
8. कौन–सी दो शक्तियां सर्वोच्चन्यायलय को शक्तिशाली बना देती है?
9. कानून के शासन का क्या अर्थ है?

10. न्यायिक पुनरावलोकन तथा रिट में क्या अन्तर है?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. सर्वोच्च न्यायलय द्वारा जारी रीट का वर्णन करो।
2. परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार से सरकार को क्या लाभ है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की पद से हटान की प्रक्रिया का वर्णन करो।
4. सामुहिकता के सिद्धान्त का क्या अर्थ है?
5. अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन करो?

छः अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय न्यायपालिका की सरंचना पिरमिड के आकार भी है वर्णन करो।?
2. सर्वोच्च न्यायलय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करो?
3. जनहित यचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है?
4. जनहित यचिकाओं को न्यायपालिका के लिए नकरात्मक पहलू क्या माना जाता है?
5. न्यापालिका की नियन्त्रता के लिए प्रमुख उपायी की चर्चा करो?

पांच अंकीय प्रश्नः–

1. यह बात जरूर याद रहे कि गरीबों की समस्याएं ऐसे लोगों की समस्याओ से गुणात्मक रूप से अलग है जिन पर अब तक अदालत को ध्यान रहा है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नजरियां अपनाने की जरूरत है यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ करने की कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते है, तो वे कभी भी अपने मौलिक अधिकारी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। (न्यायमूर्ति भगवती–बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984)
   (1) उपरलिखित कथन किस के द्वारा कहा गया?
   (2) मुकद्दमें का नाम क्या था?
   (3) न्यायमूर्ति किस के हित के बारे मे लिख रहे है।
   (4) सभी मौलिक अधिकारी का प्रयोग किस प्रकार कर सकते है।

2.

(1) उपरोक्त चित्र में न्यापालिका किस विषय पर हस्ताक्षेप कर रही हैं। (1)

(2) न्यायपालिका हस्ताक्षेप से क्या लागू है। (2)

(3) हस्ताक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया? (2)

3. आप एक न्यायाधीश है

नागरिकों का एक समूह जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय जाकर प्रार्थना करता है कि वह शहर की नगरपालिका के अधिकारियों को झुग्गी झोपड़ियों हटाने और शहर को सुंदर बनाने का काम करने के आदेश दें, ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वाले को आकर्षित किया जा सके। उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में है। झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाला का पक्ष है कि ऐसा करने पर उनके 'जीवन के अधिकार' का हनन होगा। उनका तर्क है कि जनहित के लिए साफ–सुथरे शहर के अधिकर से ज्यादा जीवन का अधिकतर महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक न्यायधीश है। आप एक निर्णय लिखें और तय करें कि इस 'जनहित याचिका' में जनहित का मुद्दा है या नहीं?

(1) न्यायालय जाने वाले दो पक्ष कौन–कौन है? (1)

(2) दोनों पक्षों ने जनहित के आधार पर अपना कौन–कौन सा पक्ष रखा।(2)

(3) अगर आप न्यायधीश होते तो क्या निर्णय लेते तथा ये विषय जनहित याचिका का विषय है या नहीं?। (2)

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः–

1. सर्वोच्च न्यायालय
2. 24
3. एक लाख रु. प्रतिमाह
4. 1950
5. 31 (30+1)
6. सैनिक न्यायालय
7. द0 अफ्रीका
8. 65 वर्ष की आयु तक
9. 1973 और 1977 में

दो अंकीय उत्तरः–

1. 1970 ने न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती तथा बी. के. कृष्णआधर द्वारा।
2. अखबारेां के समाचार तथा डाक द्वारा प्राप्त शिकायत की भी जनहित याचिका माना जाने लगा।
3. गरीबों, असहाय, असक्षम निरक्षर लोगों की शीघ्र न्याय दिलवाने के लिए।
4. न्यायपालिका द्वारा अपने द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः जांच करना।
5. न्यायपालिका से भी चूंक हो सकती है। व्यक्ति की सच्चा न्याय प्राप्त हो।
6. न्यायपालिका रीट जारी करके बंदी प्रत्यक्षीकरण परमावेश जारी ताकि सभी को जीने का अधिकार तथा सूचना का अधिकार प्राप्त हो। मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है।
7. उच्च न्यायलय रीट जारी कर सकती है।
8. किसी कानून की गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है उसे लागू होने से रोक सकती है।
8. (1) रिट जारी करने की शक्ति (2) न्यायिक पुनरावालोकन शक्ति
9. गरीब अमीर, स्त्री और पुरूष, अगडे और पिछड़े सभी वर्गों के लोगों पर एक समान कानून लागू हो।

10. – न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान का व्याख्या कर सकती है।

– मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायलय जो आदेश जारी करती है रिट कहलाती है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश अधिकार पच्छा उत्प्रेष्ठा वर्णन।

2. (i) सरकार को छूट मिल जाती हैं

(ii) अदालती राय जानकर कानूनी विवाद से बचा जा सकता है

(iii) विधेयक में संशोधन कर सकती है

(iv) समस्या का समाधान विद्वान व्यक्तियों के द्वारा।

3. (i) महाभियोग द्वारा ;पपद्ध अयोगयता का अरोप लगने पर (iii) विशेष बहुल प्रस्ताव पारित (iv) दोनो सदनों में बढ़त के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षेप।

4. (i) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारतक के मुख्यन्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा।

(ii) न्यायाधीश की नियुक्ति नई व्यवस्था के माध्यम से

(iii) नई व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य चार वरिष्ठतम् न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सामूहिकता का सिद्धान्त।

5. (i) उच्च न्यायालयो के निर्णय के विरूद्ध (ii) उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कि कानूनी व्याख्या से सम्बन्धित (iii) किसी अपराधी के अपराध मुक्ति के निर्णय को बदल कर पुनः फांसी की सजा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मंगवा कर पुन निरक्षण कर सकता है।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (1) न्यायमूर्ति भगवती के द्वारा

(2) बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984

(3) गरीबों के।

(4) गरीबों के प्रति इंसाफ का नजरिया बनाकर उचित व उचित समय पर निर्णय करना।

2. (i) डाक हडताल (ii) जनता को सुविधा (iii) सार्वजनिक हित से सम्बन्धित विभागों को हडताल नहीं करनी चाहिए। (iv) लोगों की असुविध (v) दैनिक आवश्यकताओं पर प्रभाव

3. (1) (i) शहर को सुन्दर बनाने हेतु (ii) झुग्गियों को तोड़ने से रोकने वाले

(2) शहर का सुन्दर बनाकर पूंजी निवेश पर बल, दूसरा पक्ष जीवन के अधधिकार की मांग

(3) जीवने अधिकार को प्राथमिकता देता, सफाइ का निर्देश दिया जाता ।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. सर्वोच्च

उच्च

जिला न्यायालय

वर्णन

2. प्रारम्भिक (मौलिक, अपीलीय, परामर्शदाता, रिट जारी करना, वर्णन)

3. किसी व्यक्ति, संस्था की शिकायत, अखबार में समाचार, डाक द्वारा शिकायत के आधार पर।

4. (i) न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ना।
   (ii) विधानपालिका के कार्यों का न्यायपालिका के द्वारा किया जाता।
   (iii) न्यायापलिका के पास समय का अभाव
   (iv) न्यायाधीशों की कमी।

5. (i) न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु निश्चित
   (ii) अच्छा वेतन
   (iii) न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं
   (iv) दिए गए निर्णयों के लिए न्यायाधीशों को जीवन सुरक्षा प्रदान करना।
   (v) राजसत्ता द्वारा न्यायाधीशों के कार्यों में बाधा न पहुंचाना
   (vi) न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधानपालिका की दखल अंदाजी नहीं।

अध्याय 7
संघवाद

विशेष बिन्दू–

संघवाद का अर्थ– साधारण शब्दों में कहें तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। (संघ=संगठन+वाद=विचार)।

'संघवाद' एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, इसमें एक संधीय (केन्द्रीय) स्तर की सरकार और दूसरी प्रांतीय (राज्यीय) स्तर की सरकारें।

संघीय (केन्द्रीय) सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते है और राज्य की सरकारें अपने प्रांत (राज्य) विशेष के लिए होती है, जिसके जिम्में राज्य के महत्व के विषय होते हैं। उदाहरण–भारत में संघ सूची के विषयों पर केन्द्रीय (संघीय) सरकार कानून बनाती है तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है।

भारतीय संविधान में संघवाद– संविधान के अनुच्छेद–1 में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है।

(i) भारत में जो संघवाद अपनाया गया है, उसका आधार राष्ट्रीय आन्दोलनन के दौरान आन्दोलन कर्ताओं के द्वारा लिए उस फैसले का परिणाम है कि जब देश आजाद होगा तब विशाल भारत देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केन्द्रीय सरकारों के बीच बांटेगे। आज संविधान में ऐसा ही है।

(ii) भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था (संघवाद) के अनुसार– एक संघीय (केन्द्रीय) सरकार + उन्नतीस (29) राज्य तथा सात (07) केन्द्र शासित सरकारें अपने–अपने प्रांतों में अपने–अपने विषयों पर काम करती है। सात केन्द्र शासित प्रांतों में से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।

(iii) वेस्टइंडीज, नाईजीरिया, अमेरिका एवं जर्मनी जैसे देशों में भी 'संघवाद' है परन्तु भारतीय संघवाद से भिन्न।

(iv) भारतीय संघवाद की विशेषताएं–

(क) भारत में दो स्तर (केन्द्रीय स्तर तथा राज्य स्तर) की सरकारें है।

(ख) लिखित संविधान।

(ग) शक्तियों का विभाजन (संघ सूची–97), राज्य सूची (66), समवर्ती सूची (47)+ अबशियर सूची

(घ) स्वतंत्र न्यायपालिका।

(ड) संविधान की सर्वोच्चता।

शक्ति विभाजन–

भारतीय संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है– एक संघीय (केन्द्रीय) सरकार तथा दूसरी प्रांतीय (राज्य) सरकार। संविधान के अनुच्छेद 245–255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषण पत्र है। संघीय (केन्द्रीय) सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के तो प्रांतीय (राज्य) सरकार के पास प्रांतीय महत्व के कार्य/विषय हैं।

भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण–

(i) संविधान की सर्वोच्चता–कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे।

*(ii) शक्तियों का विभाजन–देश में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों को तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची) के अन्तर्गत बांटा गया है।

(iii) स्वतंत्र न्यायपालिका–भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो सरकार को तानाशाही होने से रोकता है, तथा सभी नागरिकों को निस्पक्ष न्याया दिलाती है।

(iv) संशोधन प्रणाली–यह संघीय प्रक्रिया के अनुरूप ह।

(v) दो स्तर की सरकारें–(क) संघीय (ख) संघीय (केन्द्रीय) तथा राज्य (प्रांतीय) सरकार।

भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण–

भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षणों के साथ ही एकात्मक लक्षण भी है जो निम्न है–

(i) इकहरी नागरिकता।

(ii) शक्ति विभाजन में संघीय (केन्द्रीय) पक्ष अन्य से अधिक ताकतवर।

(iii) संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान।

(iv) एकीकृत न्यायपालिका।

(v) आपातकाल में एकात्मक शासन (केन्द्र शक्तिशाली)

(vi) राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति।

(vii) इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था (अखिल भारतीय सेवाएं–IAS)

भारतीय संघ में सशक्त केन्द्रीय सरकार क्यों?–

भारतीय संविधान द्वारा एक शक्तिशाली (सशक्त) केन्द्रीय (संघीय) सरकार की स्थापना करने कारण निम्न है–

भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेकानेक विविधताओं और सामजिक–आर्थिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माता शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार के माध्यम से उन विविधताओं तथा समस्याओं का निपटारा चाहते थे। देश की आजादी (1947) के समय 500 से अधिक देशी रियासते थी उन सभी को शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार के द्वारा ही भारतीय संघ में शमिल किया जा सका।

भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव–

(क) केन्द्र–राज्य संबंध– संविधान में केन्द्र को अधिक शक्ति प्रदान करने पर अक्सर राज्यों द्वारा विरोध किया जाता है। और राज्य निम्नलिखित मांगे करते है–

(i) स्वायत्तता की मांगः समय –समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों में राज्यों को केन्द्र के मुकाबले ज्यादा स्वायतता देने की मांग उठाई हे जो निम्न रूपों में है–

(A) वित्तीय स्वायत्तता– राज्यों के आय के अधिक साधन होने चाहिए।

(B) प्रशासन स्वायत्तता– शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाएं। राज्यों को अधिक महत्व के अधिकार। शक्तियां दी जाए।

(C) सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे–तमिलनाडु में हिन्दी विरोध मे पंजाब में पंजाबी व संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग।

(ii) राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासनः

(A) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों की सरकारों की सहमति के बिना राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करा दी जाती है।

(B) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से अनुच्छेद–356 का अनुचित प्रयोग कर, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवा देना।

(iii) नए राज्यों की मांगः भारतीय संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है।

(iv) अंतर्राज्यीय विवादः

(A) संघीय व्यवस्था ने दो या दो से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के अनेको उदाहरण है।

(B) राज्यों के मध्य सीमा विवाद–जैसे बेलगांव को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में टकराव।

(C) नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद, जैसे–कर्नाटक एवं तमिलनाडू कावेरी जल–विवाद में फंसे है।

(v) विशिष्ट प्रावधानः (पूर्वोतर के राज्य तथा जम्मू कश्मीर):

(A) संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। जैसे–अलग संविधान, ध्वज तथा भारतीय संसद द्वारा राज्य सरकार की सहमति के बिना आपातकाल नहीं लगा सकती। आदि।

(B) संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 (झ) तक में नागालैंड, असम, मणिपुर, आन्ध्रप्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश और गोवा को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गइै है।

प्रश्नावलीः

एक अंकीय प्रश्नः–

1. संघवाद के लिए भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया है?
2. संघवाद का क्या अर्थ है?
3. केन्द्र तथा राज्यों के बीच उठे विवादों का समाधान किस के द्वार?
4. भारत में संघवाद व्यवस्था को क्यों अपनाया गया?
5. समवर्ती सूची पर किसने कानून बनाने का अधिकार।
6. सरकारिया आयोग कब बनाया गया?
7. राज्यों से राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस अनुच्छेद के अन्तर्गत ।
8. राज्यों में राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों तक बढाया जा सकता है?
9. राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई।
10. किस भारतीय राज्य का आपना संविधान है?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. मैसूर तथा मद्रास को किस राज्य में विलय किया गया?
2. संघवाद से भारत की विमिधता में एकता किस प्रकार सहायक हुई?
3. अनुच्छेद–1 क्या दर्शाता है?
4. शक्ति विभाजन का क्या अर्थ है?
5. अवशिष्ट शक्तियां कौन–सी है?
6. राज्य स्वायतता की मांग किस आधार पर करते है?
7. सरकारिया आयोग की स्थापना की?
8. अर्न्तराज्यीय विवादो के दो उदहारण दीजिए।

चार अंकीय प्रश्नः–

1. ज्यादा स्वायतता की चाह ने प्रदेशों ने कौन–कौन सी मांग उठाई?
2. भारतीय संविधान की चार संघातमक विशेषताएं बनाइए?
3. भारत में संविधान की चार एकात्मक विशेषताएं लिखे?
4. बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर खुश क्यों नहीं है?
5. राज्यों में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान का उल्लेख कीजिए।

छः अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संवधिान का स्वरूप संघातमक है लेकिन वास्त्व में एकात्मक की विशेषताएं प्रभावी है।

2. संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची का वर्णन करो।

3. स्वायतता और अलगाववाद का क्या अर्थ है।

4. जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशिष्ट शक्ति का वर्णन करो?

पांच अंकीय प्रश्नः–

1. दिए गए अवतरण को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो–

जहाँ एक और राज्य अधिका स्वायतता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केन्द्र विवाद की स्थिति में रहते है, वही दूसरी और संघीय व्यवस्था में दीपाओ से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते है। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है। लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते है अतः इनका सर्वोतम समाधान केवल विचार–विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है।

(1) केन्द्र तथा राज्यों में किस कारण से विवाद रहता है?

(2) राज्यों में आपसी विवाद का कोई एक कारण बताइए।

(3) कानूनी विवादों की कौन हल कर सकता है? विवादों के राजनीतिक पहलू को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है? 2+1+2

2. राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? 1

कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति का क्या आशय है? 2

क्या राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा इसी प्रकार होती है? 2

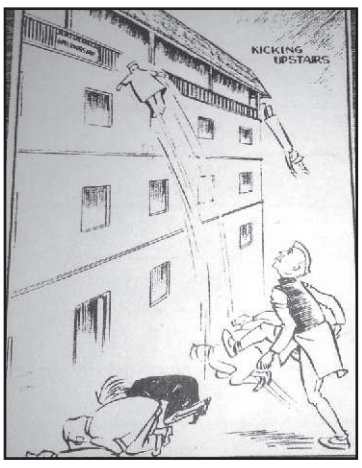

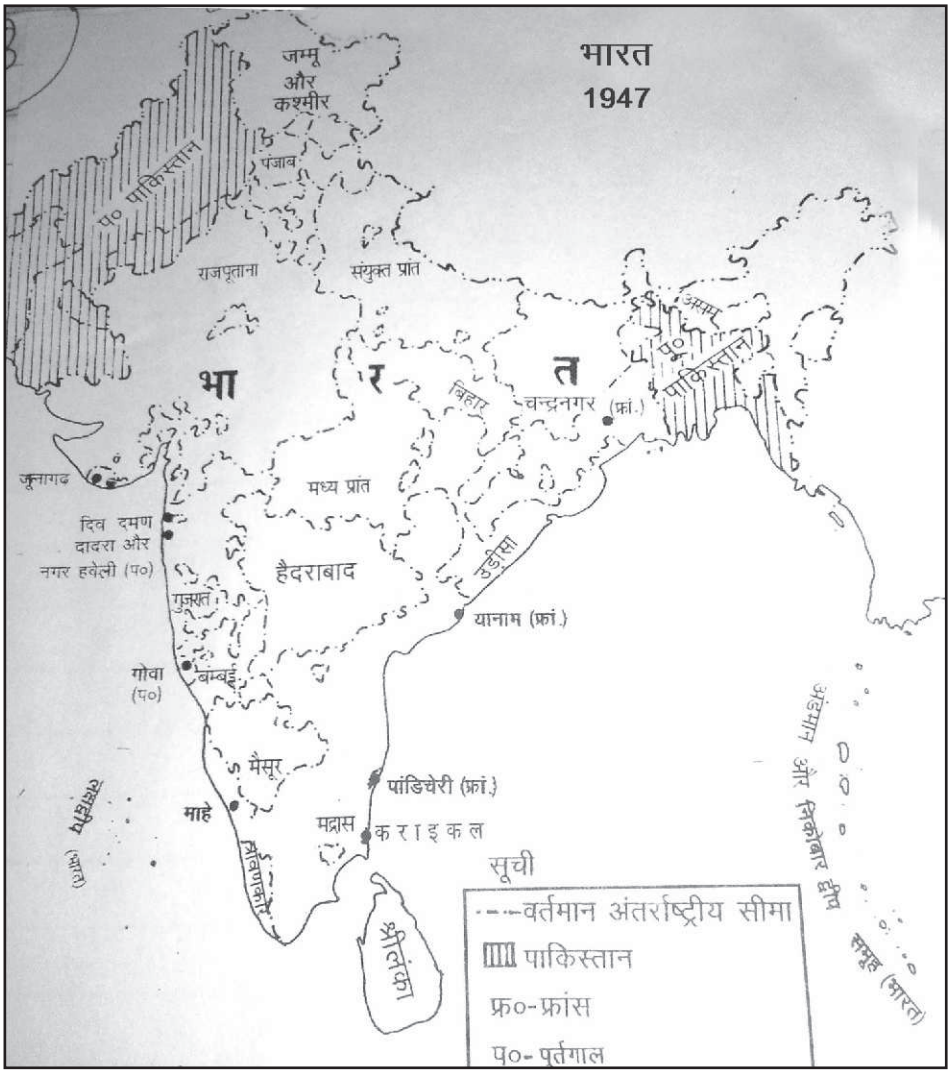

3. (i) भारत के 1947 प्रांत के मानचित्र से चार रियासतों के नाम लिख कर बताइए कि वर्तमान समय में इनका विलय किन राज्यों में हुआ? 2

(ii) चार राज्यों के नाम लिखो जिनका नए राज्यों के रूप में जन्म हुआ? 2

(iii) एक गैर हिन्दी भाषा राज्य का नाम लिखो। 1

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः–

1. यूनियन
2. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करते है।
3. भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा
4. भारतीय जनसंख्या की विशलता तथा विविधता
5. केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनो को
6. 1983 में
7. अनुच्छेद 356
8. तीन वर्षों तक
9. 1954
10. जम्मू और कश्मीर का

दो अंकीय उत्तरः–

1. कर्नाटक, तमिलनाडु
2. केन्द्र तथा राज्य सरकारो का अपना क्षेत्र अधिकार भाषा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन।
3. भारत और राज्यों का एक संघ (यूनियन) होना।
4. (1) कार्यपालिका विधानपालिका न्यायपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र है।
   (2) संघ, राज्य, समवर्ती सूची में अपने विषय है जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकार बनाता है
5. वे सभी विषय जिनका उल्लेख किसी सूची में नही दिया गया।
6. राज्य स्वायतता की मांग भाषा, आया, वित्तीय शक्ति, प्रशासकीय शक्ति।
7. राज्यपालों की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, अनुच्छेद 356 की शक्तियां बहुत सीमित रूप से इस्तेमाल।
8. सीमा विवाद नदी जल बंटवारा विवाद

चार अंकीय उत्तरः–

1. – नदी जल बंटवारा
   – सीमा विवाद, नए राज्यों की मांग
   – आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता, संसाधनों पर अधिकार
2. सरकार के तीन अंग– तीन प्रकार की सरकार
   तीन प्रकार की सूची के विषय, कानून बनाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित कठोर संधिान।
3. इकहरी नागरिकता, कानून बनाने के विषय केन्द्र के पास अधिक समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून वित्तीय अधिकार केन्द्र के पास आपातकालीन शक्ति।
4. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, केन्द्र सरकार के लिए कार्य राष्ट्रपति शासन लगवाने का अधिकार, विधेयक को कानून बनाने पर विवाद।
5. अनुच्छेद 356, आन्तरिक शांति भंग होने पर सरकार के पास बहुमत न रहने पर आर्थिक संकट आने पर वर्णन।

पांच अंकीय उत्तरः–

1. (1) वित्तीय, कानून बनाने के विषय, आपातकाल की शक्ति
   (2) नदी जल वितरण विवाद
   (3) न्यायपालिका, विचार विमर्श, पारस्परिक विश्वास
2. – राष्ट्रपति के द्वारा
   – जब चाहे जिसे राज्यपाल बना दे, जब चाहे हटा दे, या दूसरे स्थान पर भेंज दे।
   – हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की इच्छा तथा केन्द्र सरकार की इच्छा से की जाती हैं
3. (i)

	रियासत	राज्य
(1)	राजपूताना	राजस्थान
(2)	जूनागढ़	गुजरात
(3)	मैसूर	कर्नाटक
(4)	मद्रास	तमिलनाडू

(ii) उतराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना

(iii) आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक (कोई एक)

छः अंकीय उत्तरः–

1. इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, राज्यों पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग।

2. सभी विषयों की सूची

3. (1) स्वायतता अधिक अधिकारी प्राप्त करना, अलगाववाद–केन्द्र सरकार द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार

(2) राज्यों के द्वारा कार्य करते समय केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप न करना।

अलगाववाद ने केन्द्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता से देना, विकास संबंधी योजनाएं न बनाना।

4. – अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा

– केन्द्र सूची समवर्ती सूची पर केन्द्र द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति

– अधिक स्वायतता प्राप्त

– आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं कर सकती।

– राज्य में नीति निर्देशक तत्व यहां लागू नहीं होते।

– अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान के संशोधन राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू

अध्याय 8
स्थानीय शासन

विशेष बिन्दु–

– **स्थानीय शासनः** गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते है। यह आम आदमी का सबसे नजदीक का शासन है। इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाता है।

– **लोकतंत्र का अर्थ है** सार्थक भागीदारी तथा जवाबदेही। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों तथा उनके प्रतिनिनिधरयों के हाथ में रहने चाहिए। आम जनता राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से कहीं ज्यादा, स्थानीय शासन से परिचित होती है।

– **भारत में स्थानीय शासन का विकासः** प्राचीन भारत में अपना शासन खुद चलाने वाले समुदाय, ''सभा'' के रूप में मैजूद थे। आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय सन् 1882 के बाद आस्तित्व में आए। उस वक्त उन्हें ''मुकामी बोर्ड'' कहा जाता था। 1919 के भारत सरका अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतो में ग्रम पंचायते बनी।

जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है।

– **स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासनः** संविधान के 73 वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। इससे पहले 1952 का ''सामुदायिक विकास कार्यक्रम'' इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास था इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत की सिफारिश की गई। ये निकाय वित्तीय मदद के

लिए प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। सन् 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावालोकन की शुरूआत हुई।

– सन् 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की।

संविधान का 73वां और 74 वां संशोधनः सन् 1992 में ससंद ने 73वां और 74 वां संविधान संशोधन पारित किया।

– 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है।

73वां संशोधन– 73वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान

(1) **त्रि–स्तरीय ढांचाः** अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रि–स्तरीय ढांचा है।

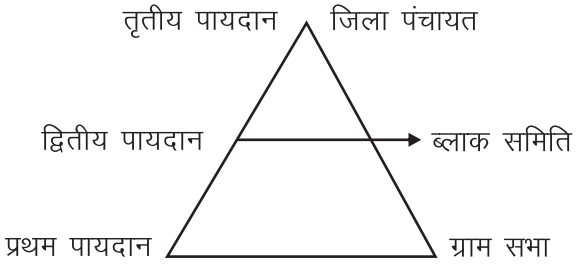

(2) **चुनावः** पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती है। हर निकाय की उपाधि पांच साल की होती है।

(3) **आरक्षणः**

– महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित

– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण

– यदि प्रदेश की सरकार चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) को भी सीट में आरक्षण दे सकती है।

इस आरक्षण का लाभ हुआ कि आज महिलाएं सरपंच के पद पर कार्य कर रही है।

भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73 वें संविधान के प्रावधानों से दूर रखा गया परन्तु सन् 1996 में एक अलग कानून बना कर पंचायती राज के प्रावधानों में, इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया।

- **राज्य चुनाव आयुक्तः** प्रदेशों के लिए यह जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी।
- **राज्य वित्त आयोगः** प्रदेशों की सरकार के लिए हर पांच वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी हैं। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शायन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखेगा।
- **74वां संशोधनः** 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन से है अर्थात् नगरपालिका से।

शहरी इलाकाः (1) ऐसे इलाके में कम से कम 5000 की जनसंख्या हो (2) कामकाजी पुरूषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी से अलग काम करते हो (3) जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।

विशेषः अनेक रूपों में 74 वें संविधान संशोधन में 73वे संशोधन का दोहराव है लेकिन यह संशोधन शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। 73 वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रोदशिक वित्त आयोग 74 वें संशोधन में शमिल है तथा नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं।

73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयनः (1994–2016) इस अवधि में प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 4 से 5 बार हो चुके है। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की संख्या में निरंतर भारी बढोतरी हुई है। महिलाओं की शक्ति और आत्म विश्वास में काफी वृद्धि हुई है।

– **विषयों का स्थानांतरणः** संविधान के संशोधन ने 29 विषय को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतो से संबंधित है।

स्थानीय शासन के विषय–

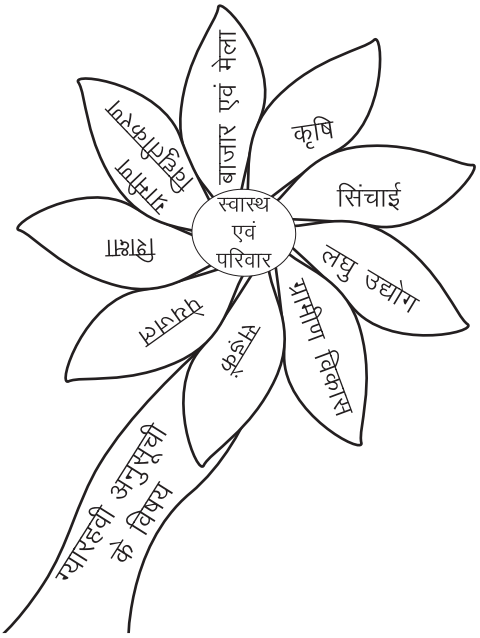

स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएं–

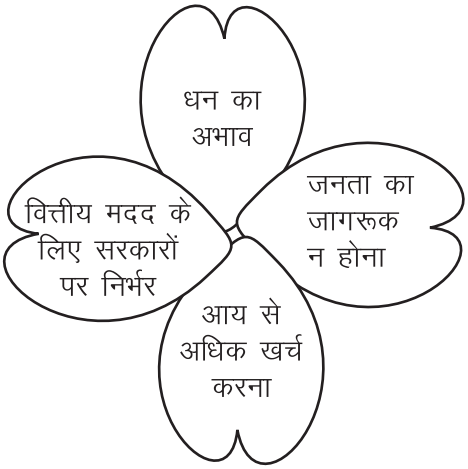

प्रश्नावलीः

एक अंकीय प्रश्नः–

1. स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की तथा कब?
2. स्थानीय शासन की विचारधारा का विचार किस देश से ग्रहण किया गया।
3. संविधान का 73वां तथा 74वां संशोधन संसद में कब पारित हुआ तथा इसे कब लागू किया गया?
4. स्थानीय शासन संविधान की किस सूची का विषय है?
5. त्रिस्तरीय ढांचे से क्या अभिप्राय है?
6. ग्राम सभा का सदस्य कौन व्यक्ति होता है?
7. ग्राम पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव कितने वर्षों के लिए किए जाते है?
8. पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है?
9. संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ग्यारहवीं अनुसूची के विषय प्रांतीय सरकार पंचायतें को दे सकती है?
10. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी किस अधिकारी को दी गई है?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. भारत में स्थानीय शासन के अधिक मजबूत न होने के दो कारण लिखिए।
2. ''शहरी इलाका'' शब्द से क्या अभिप्राय है?
3. नगर निगम तथा नगरपालिकाएं किस प्रकार के शहरों में कार्यरत होती हैं?
4. ग्राम पंचायतों के क्या–क्या कार्य हैं? किन्हीं दो का उल्लेख करो।
5. पंचायती संस्थाओं में महिलाओं को जो आरक्षरण दिया गया है उससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया है? स्पष्ट करो।
6. स्थानीय शासन से आम नागरिकों को क्या लाभ हुए है?
7. स्थानीय शासन अपना कार्य उतनी दक्षता से नहीं कर पाता, जिसके लिए उसकी स्थापना हुई थी? क्यों?
8. राज्य का वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है तथा उसका मुख्य कार्य क्या है?
9. अभी हाल में नगर निगम के कुछ रिक्त स्थानों पर चुनाव हुए हैं आप के

विचार से ये चुनाव कराए जाने का क्या कारण रहा होगा?

10. पंचायती निकायों की व्यवस्था हमारे देश में प्राचीनकाल में भी थी। वर्तमान समय में इनकी कार्यप्रणाली में क्या सुधार हुए हैं?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. स्थानीय शासन का क्या महत्व है?
2. नगर निगम तथा नगरपालिकाओं के चार कार्य लिखें।
3. मेयर कौन होता है?
4. इस समय दिल्ली में कितने नगर निगम हैं? इतने निगमों के बनाए जाने का क्या कारण है?
5. नगर निगम आम जनता की समस्याओं का समाधान करने में कहां तक सफल रहे है?
6. पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष कौन–कौन सी समस्याएं है?
7. ''स्थानीय संस्थाएं स्वायत्त नहीं है इसीलिए यह कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर पाती'' आपके विचार से क्या यह कथन सत्य है? कैसे?
8. ''लोकतंत्र तभी सफल होता है जब नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है'' इस कथन को स्पष्ट करें
9. ''स्थानीय शासन में महिला आरक्षण का लाभ वास्तव में पुरूष सत्तात्मक समाज ले रहा हैं''? क्या आप इस बात से सहमत है? तर्क दीजिए।
10. जब भी लोकतंत्र को ज्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो समाज में संघर्ष और तनाव का होना तय है? क्या आप इस विचार से सहमत है? स्पष्ट करें।

पांच अंकीय प्रश्नः–

1. ''गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनान सत्ता के विकेन्द्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहल कदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनेी चाहिए ताकि यह सफल हो सके। समूचे भारत की आजादी की शुरूआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर राज्य एक गणराज्य होगा।''

   (क) ''सत्ता के विकेन्द्रीकरण'' से क्या अभिप्राय है? 1

   (ख) गणराज्य से क्या अभिप्राय है? 1

   (ग) पंचायतों को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? कोई दो सुझाव दीजिए। 2

(घ) ''आजादी की शुरूआत सबसे नीचे से होनी चाहिए'' इस कथन से क्या अभिपाय है? 1

2. चित्र को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर दें–

(1) इस चित्र में जो लिखा है उससे आप क्या समझ पा रहे है? 1

(2) स्थानीय शासन की मदद से क्या इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है? कैसे?

(3) इस उद्देश्य की प्राप्ति में किन–किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

छः अंक के प्रश्न–

1. स्थानीय शासन से क्या अभिपाय है तथा इसका नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2. पंचायती राज व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? यदि आप जिला कलैक्टर होते तो आप गांवों की किन–किन समस्याओं का समाधान करते?
3. यदि स्थानीय निकाय न होते तो नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान हो पाता या नहीं? क्यो?
4. नगर निगम को आय कहां से प्राप्त होती है? क्या यह धन नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होता है? क्यों?
5. यदि आप अपने गांव की सरपंच होतीं तो समाज आपके कार्यों में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करता? तब आप उन बाधाओं से कैसे छुटकारा पातीं?

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः–

1. थुंगन समिति, 1989
2. ब्राजील
3. 1992, 1993
4. राज्य सूची
5. ग्राम पंचायते निचले स्तर पर, ब्लॉक समिति मध्य स्तर पर और जिला परिषद ऊपरी स्तर पर
6. वे सभी जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके होते हैं।
7. 5 वर्षों
8. 1 तिहाई
9. अनुच्छेद 243
10. राज्य के चुनाव आयुक्त

दो अंकीय उत्तरः–

1. जातिवाद, गुटबाजी, सांप्रदायिकता
2. जनसंख्या कम से कम 5000, 75ः से कामकाजी पुरूष खेती बाडी से अलग काम करते हो, जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।
3. नगर निगम बड़े शहरो में, नगरपालिकाएं छोटे शहरो में।
4. सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण आदि।
5. आज अनेकों महिलाएं सरपंच तथा मेयर जैसे पदों पर आसीन है उनमें पहले से जयादा शक्ति तथा आत्मविश्वास आया है। महिलाओं की राजनीतिक समझ में वृद्धि हुई है।
6. नागरिकों की समस्याओं के समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाते है। नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है।
7. धन का अभाव रहता है। आय के अनुपात में खर्च अधिक है इसलिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है।

8. 5, स्थानीय शासन की संस्थाओं की अर्थिक स्थिति का अनुमान लगाना।

9. ये स्थान कई कारणों से रिक्त हुए होंगे।

– किसी निगम पार्षद की मृत्यु के कारण

– किसी निगम पार्षद का दल बदल लेने के कारण

– किसी निगम पार्षद का विधायक बन जाने के कारण

10. प्राचीनकाल में भी स्थानीय संस्थाएं परन्तु वे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। आज से संस्थाएं अधिक उत्तरदायी है और जनता के प्रति जवाबदेह भी।

चार अंक वाले प्रश्नों के उत्तर–

1. स्थानीय शासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है यदि स्थानीय विषय स्थानीय प्रतिनिधियों के पास रहते है तो नागरिकों के जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान तीव्र गति से तथा कम खर्च में हो जाती है।

2. स्थानीय शासन नागरिकों का सबसे नजदीक का शासन है। इसलिए उसे समस्याओं के समाधान के लिए भी सोचने का अवसर मिलता है उसे लगता है जैसे वह भी राजनीति में भागीदार है।

3. सफाई का प्रबंध, बिजली का प्रबंध, पेयजल की व्यवस्था, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, सड़कों का निर्माण व मरम्मत, शमशान घाटों की व्यवस्था आदि।

4. इस समय दिल्ली में तीन नगर निगम है, उत्तर दिल्ली, पूर्वी दिल्ली तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनकी समस्याएं भी। एक नगर निगम सबकी समस्याओं का समाधान उतनी कुशलता से नहीं कर पा रहा था जितना तीन नगर निगम कर पा रहें हैं।

5. नगर निगम जनता की समस्याओं का समाधान उस हद तक नहीं कर पा रहे जितना वो कर सकते हैं। आज भी सड़कें टूटी रहती हैं कूड़े के ढेर कहीं–कहीं देखे जा सकते हैं। पानी, बिजली की समस्या का समाधान किया जा चुका है परंतु फिर भी गर्मी के दिनों में इन दोनों से ही आम नागरिकों को जूझना पड़ता है।

6. धन की समस्या, जनता का जागरूक न होना, राजनीतिक हस्तक्षेप, आय से अधिक व्यय होना,।

7. हाँ, यदि ये संस्थाएं स्वायत्त हो जाएं तो नागरिकों की समस्याएं जल्दी सुलझेंगी और ये संस्थाएं जनता के प्रति उत्तरदायी भी होंगी।

8. नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है। जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की सार्थक भागीदारी कर सकता है। तभी सरकार जवाबदेह होगी।

9. अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही हैं या महिला को पद पर आसीन करा कर परिवार का मुखिया या पुरूष उसके बहाने फैसले लेता रहता है।

10. हाँ, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को संविधान ने अनिवार्य बना दिया या इसके साथ ही, अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया। इससे स्थाानीय निकायों की सामाजिक बुनावट में भारी बदलाव आए। कभी–कभी इससे तनाव पैदा होता है और सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है।

5 अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (क) सत्ता के विकेन्द्रीकरण का अर्थ है सत्ता जनता तक पहुंचे जैसे गांधी जी चाहते थे कि ग्रामोदय की विचारधारा सत्ता की विकेन्द्रीकरण है। स्थानीय स्तर की समस्याएं स्थानीय स्तर पर सुलझ जाएं।

   (ख) गणराज्य से अभिप्राय है जहां राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है यदि स्थानीय शासन को स्थानीय जनता तक पहुंचाया जाएगा तो हर ग्राम एक गणराज्य बन जाएगा।

   (ग) – उन्हें धन की कमी नहीं होनी चाहिए।

   – जनता का जागरूक होना चाहिए।

   (घ) इसका अर्थ है समस्याओं के समाधान स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा हो सकें। स्थानीय शासन सरकार के सबसे नीचे स्तर पर आता है।

2. (क) इसक अर्थ है ये हमारा गांव है और इसमें हमारा राज होना चाहिए।

   (ख) हां, क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि स्थानीय समस्याओं का समाधान अच्छे प्रकार से कर सकते हैं।

(ग) कभी–कभी धन की समस्या, सरकार का हस्तक्षेप, आय से अधिक व्यय होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

छः अंको के प्रश्नों के उत्तर–

1. स्थानीय शासन स्थानीय मामलों की देखभाल करती है नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान तेजी से तथा कम खर्च में कर सकती है। इससे नागरिक सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से भागीदार बनता है।
2. गांवों के स्थानीय शासन को पंचायती राज कहा जाता है। इसके तीन स्तर है। (छात्र अपने विवेक से उत्तर देगा)
3. छात्र अपने विवेक से उत्तर देगा।
4. नगर निगम बहुत से कर लगाता है जैसे गृहकर, जल कर, साप्ताहिक बाजारो में सामान बेचने वालों पर कर, आदि राज्यों से अनुदान प्राप्त करके भी नगर निगम धन प्राप्त करते हैं। नहीं, क्योंकि आय से अधिक व्यय किया जाता है और राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करने के लिए बहुत देर हो जाती है।
5. छात्र अपने विवेक से उत्तर देंगे।

अध्याय 9
संविधान एक जीवंत दस्तावेज़

संविधान समान की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब होता है। यह एक लिखित दस्तावेज़ है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते है। संविधान का अंगीकरण 26 नवम्बर 1949 को हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

संविधान में जीवंतता है क्योंकि –

1. यह परिवर्तनशील है।
2. यह स्थायी या गतिहीन नहीं।
3. समय की आवश्यकता के अनुसार इसके प्रावधानों को संशोधित किया जाता है।
4. संशोधनों के पीछे राजीनीतिक सोच प्रमुख नहीं बल्कि समय की जरूरत प्रमुख।

संविधान में संशोधन–

1. संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद से ही शुरू होती है।
2. संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है।
3. संशोधनों का अर्थ यह नहीं कि संविधान की मूल सरंचना परिवर्तित हो।
4. संशोधनों के मामलें में भारतीय संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण।
5. संविधान में अबतक लगभग 100 संशोधन
6. संविधान संशोधन विधेयक के मामलें में राष्ट्रपति को पुर्नविचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है।

संविधान में संशोधन के तरीके –

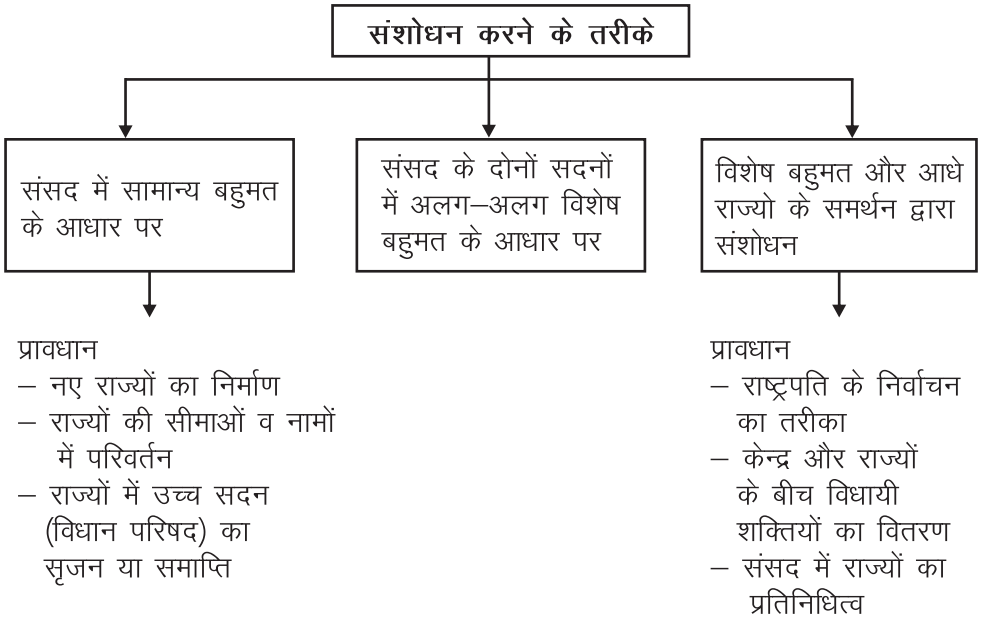

संविधान में इतने संशोधन क्यों?

हमारा संविधान द्वितीय महायुद्ध के बाद बना था उस समय की स्थितियों में यह सुचारू रूप से कर रहा था पर जब स्थिति में बदलावब आता गया तो संविधान को संजीव यन्त्र के रूप में बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। इतने (लगभग 100) अधिक संशोधन हमारे संविधान में समय की आवश्यकतानुसार लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए गए।

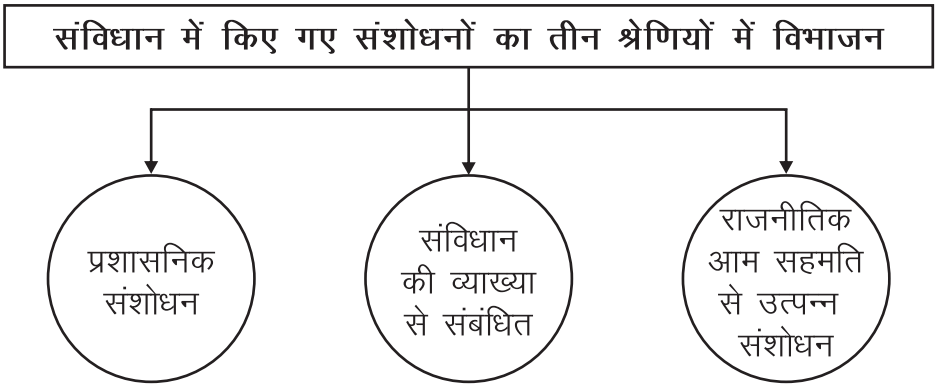

विवादस्पद संशोधन–

वे संशोधन जिनके कारण विवाद हो। संशोधन 38वां, 39वांव 42वां विवादस्पद माने जाते है। ये आपातकाल में हुए संशोधन इसी श्रेणी में आते हैं।

विपक्षी सांसद जेलों में थे और सरकार को असीमित अधिक मिल गए थे।

संविधान की मूल संरचना का सिद्धान्त–

यह सिद्धान्त सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया–

1. संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमा निर्धारित हुई।
2. यह संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देता है पर सीमाओं के अंदर।
3. संविधान की मूल सरंचना का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा।

संविधान एक जीवंत दस्तावेज–

– संविधान एक गतिशील दस्तावेज है।

– भारतीय संविधान का अस्तित्व 66 वर्षों से है इस बीच यह अनेक तनावों से गुजरा है। भारत में उतने परिवर्तनों के बाद भी यह संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य के साथ कार्य कर रहा है।

– परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील रह कर नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत का संविधान खरा उतरता है यहीं उसकी जीवतंता का प्रमाण है।

प्रश्नावलीः

एक अंकीय प्रश्नः–

1. सजीव संविधान का अर्थ बताइए।
2. भारतीय संविधान कब अंगीकृत और कब लागू किया गया?
3. भारत के संविधान का स्वरूप कैसा रहा?
4. संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं का उल्लेख है?
5. 15वां संशोधन किस से संबंधित है?
6. किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई
7. भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ?
8. संविधान की समीक्षा करते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए।
9. भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा का विकास किस मुकदमें में हुआ?
10. भारतीय संविधान में आज तक कितने संशोधन हो चुके है?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. कोई दो उदाहरण दीजिए जिसमें संसद अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया को अपनाएं बिना ही संशोधन कर सकती है?
2. संविधान निर्मताओं ने किन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया जो आज भी विद्यमान हैं?
3. संविधान में संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनो सदनों में मतभेद होने पर क्या किया जाता है?
4. भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन का समन्वय है? क्या आप इस कथन से सहमत है? समझाइए।
5. न्यायिक पुर्नरावलोकन क्या है?

6. संविधान को जीवांत दस्तावेज क्यों कहा जाता है?

7. भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन होने के क्या कारण हैं?

8. केशवानंद भारती मुकदमें के कोई दो महत्व लिखो।

चार अंकीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान के साधारण विधि से संशोधन किन विषयों में किया जा सकता है?

2. भारतीय संविधान में नीचे लिए संशोधन करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है?

   (1) चुनाव आयोग से सम्बन्धित

   (2) राज्यों की सीमाओं में बदलाव

   (3) धार्मिक स्वतंत्रता का आधार

   (4) केन्द्र सूची में परिवर्तन

3. संविधान की सुरक्षा व उसकी व्याख्या में न्यायापालिका की भूमिका का वर्णन करो?

4. साधारण बहुमत व विशेष बहुमत में क्या अंतर है?

पांच अंकीय प्रश्न

1. जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई ये तीन संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। वास्तव में संविधान का 42 वां संशोधन बहुत बड़ा संशोधन है। इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक प्रकार से यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती दी। यहां तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया मूलकर्त्तव्यों को भी संविधान में इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया यह कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के बड़ें मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया।

1) भारत में आपात्काल की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई। 1

2) कौन–से तीन विवादास्पद संशोधन इस काल में किए गए? 1

3) 42वां संशोधन के विषय में आप क्या जानते है? 1

4) केशवानंद भारती विवाद का संविधान संशोधन पर क्या प्रभाव पड़ा? 2

छः अंकीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

2. संविधान एक जीवांत दस्तावेज है? अर्थ समझाकर अपनी राय दीजिए।

3. संविधान में संवैधानिक संशोधनों द्वारा दिए गए कुछ परिवर्तनों का वर्णन करो।

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः–

1. संविधान गतिशील, परिस्थितियों व समयानुसार परिवर्तन
2. 26 नवंबर 1949 का संविधान अंगीकृत, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू
3. लचीला व कठोर
4. 368
5. उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62
6. 61वां संशोधन
7. 1976
8. उसकी मूल सरंचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए।
9. 23 अप्रैल 1973 को स्वामी केश्वानंद भारती के मुकदमें में।
10. अब तक संविधान में लगभग 100 संशोधन हो चुके हैं।

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. अनुच्छेद 2 (नए राज्यों को प्रवेश देना)

   अनुच्छेद 3 (राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना)
2. व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता, सामाजिक तथा आर्थिक समानता राष्ट्रीय एकता व अखंडता
3. दोनों सदनों में अलग–अलग विशेष बहुमत जरूरी। अगर दोनों सदनों में संशोधन पास नही होता तो वह रद्द हो जाता।
4. संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं हैं। न पूर्णतः लचीला और न ही पूरी तरह से कठोर।

   लचीलासंविधान– जिसमें संशोधन सरलता से वैसे ही किया जाता है जैसे कानून बनाया जाता है उदाहरण के लिए –राज्यों के नाम बदलना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना आदि। संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से बदल सकते हैं।

   कठोर संविधान–संविधान की कुछ धाराओं को बदलने के लिए संसद के

दोनों सदनों का दो तिहाई बहुमत आवश्यक है और कुछ के लिए बहुमत के साथ–साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संशोधन पर समर्थन आवश्यक है।

5. विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर न्यायपालिका द्वारा दोबारा विचार करने को न्यायिक पुर्नरावलोकन कहते है।

6. परिस्थितियों के अनुसार समय के अनुसार संशोधन किए जा सकते है।

7. 1) लचीला संविधान

   2) परिस्थितियाँ

   3) विभिन्न वर्गों को संतुष्ट करने के लिए

   4) सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के लिए

8. 1) 38वें व 39वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती

   2) सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा का प्रतिपादन किया।

4 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. 1) नए राज्यों का निर्माण

   2) राज्य का नाम बदलना

   3) राज्य की सीमा में परिवर्तन

   4) संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के संबंध में संशोधन

2. 1) विशेष बहुमत

   2) सामान्य बहुमत

   3) विशेष बहुमत

   4) विशेष बहुमत तथा राज्यों द्वारा अनुमोदन

3. 1) आरक्षण की व्यवस्था

   2) मूल ढांचे का सिद्धान्त

   3) मौलिक अधिकारों की रक्षा

   4) न्यायिक पुर्नरावलोकन

   5) मलाईदार परत का सिद्धान्त

4. साधारण बहुमत–उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की

विशेष बहुमत– सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत।

6 अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. a) संसद के सामान्य बहुमत के आधार पर

   b) संसद के दोनों सदनों में अलग–अलग विशेष बहुमत के आधार पर

   c) संसद के दोनों सदनों में अलग–अलग विशेष बहुमत तथ कुल राज्यों की कम से कम आधी विधानसभाओं द्वारा स्वीकृति।

2. a) संविधान गतिशील या जीवांत दस्तावेज

   b) जीवित प्राणी की तरह अनुभव से सीखता है।

   c) भविष्य में आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढने को लिए समर्थ होना पड़ता है इसलिए संशोधन होते है।

3. 1) 1951 – संपत्ति के अधिकार का संशोधन
   संविधान मे नौवीं अनुसूची जोड़ी गई।

   2) 1969 – उच्चतम न्यायालय का निर्णय कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो।

   3) 1989 – 61 वां संशोधन–मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष

   4) 73 वां, 74वां संशोधन – स्थानीय स्वशासन

   5) 93 वां संशोधन (2005) उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित।

   6) 42वां संशोधन (1976) प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द का जुड़ना।

   7) 52वां संशोधन (1985) दल बदल पर रोक।